काला–धन कथा

↓

राम सागर शुक्ल

यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित उन
सभी देशवासियों को समर्पित है,
जो समाज को भ्रष्टाचार और कालाधन से
मुक्त करने की इच्छा रखते हैं और कुछ कर
रहे हैं।

विषय सूची :–

(01) अथ श्री कालाधन कथा

(02) काला धन का स्रोत– भ्रष्ट नौकरशाही

(03) राजनीति का औद्योगीकरण

(04) चुनाव और कालाधन

(05) एन.जी.ओ. और कालाधन

(06) नकली नोट

(07) ब्लैक मनी एक्ट

(08) आय घोषणा योजना

(09) सरकारे हैं कालाधन का प्रमुख स्रोत

(10) नोट बन्दी

(11) जी.एस.टी.

(12) सरकार के प्रयास

(13) भ्रष्टाचार ही रहेगा चुनाव का मुद्दा

(14) भारतीय स्विस बैंक

(15) सारांश

(16) लेखक का परिचय

अथ श्री कालाधन–कथा

स्थान– कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म क्षेत्र भी कहते हैं।

समय– द्वापर का अंतिम प्रहर, कलियुग के आगमन की आहट स्पष्ट।

महाभारत युद्ध में मारे गये लाखों योद्धाओं के अन्तिम संस्कार इसी क्षेत्र में किये गये। अतः वहां के वातावरण में लाशों के दाहसंस्कार से उत्पन्न चिरांयध गंध अब भी विद्यमान थी। वहां उपस्थित लोगों के मन में श्मशान वैराग्य की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक था। रणक्षेत्र में पराजित वीरों में पितामह भीष्म एकमात्र योद्धा थे जो अब भी युद्ध में लगे घावों का दंश झेल रहे थे। इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाले पितामह शुभ मूहर्त में अपने निधन के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

पाण्डव परिवार के शेष बच्चे विजयी सदस्य पितामह के पास थे उनका अन्तिम आशीर्वाद लेने के लिये। पितामह बहुत थक गये थे। फिर भी उन्होंने पाण्डवों को निराश नहीं किया। पितामह भीष्म एक अप्रतिम योद्धा होने के साथ–साथ अद्वितीय विद्वान और महात्मा थे। उन्होने अपने ज्ञान का आशीर्वाद पाण्डवों पर उड़ेल दिया। यह ज्ञान राशि महाभारत के शान्ति पर्व में समाहित है। इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जितना ज्ञान है वह सब महाभारत में हैं और जो महाभारत में नहीं है वह और कहीं नहीं है। अस्तु। पितामह लगातार बोलते–बोलते चुप हो गये। उन्होंने आँखे बन्द कर ली। कुछ पल बाद श्मशान की शान्ति भंग करते हुए राजरानी महारानी पांचाली ने अत्यन्त विनम्ता के साथ कहा– पितामह आप समस्त ज्ञान के स्रोत है। आप हिमालय है, जहां से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। परन्तु मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आपका यह ज्ञान उस समय कहां चला गया था, 'जब दुराचारी कौरवों की सभा में मुझे नग्न करके अपमानित किया जा रहा था।'

पितामह ने धीरे–धीरे आँखे खोली और कहा 'महारानी पुत्री पांचाली, मेरा सारा ज्ञान नेपथ्य में चला गया था, क्योंकि उस समय मैं दर्योधन के दिये अन्न पर जीवन यापन कर रहा था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मेरा विवेक नष्ट हो गया था। यह सब अन्न का प्रभाव है। मनुष्य जैसा अन्न खाता है उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है।'

इतनी कथा सुना कर बाबा निरोगीदास ने एक लम्बी सांस ली और कहने लगे 'अनाज' ही उस समय वास्तविक धन था। इसी लिये आशीर्वाद में कहा जाता था– धन धान्य से सम्पन्न रहो। अब तो धन का स्वरूप भी बदल गया है। अब गोधन, गजधन, बाजिधन और रतन धन खान ही असली धन रह गया है। संतोष धन तो समाप्त ही हो गया है समझो। धन तो धन होता है। परन्तु अब धन के कई रूप हो गये हैं, जिनमें कालाधन या ब्लैकमनी ही सब जगह छाया हुआ है। पहले जिसे कालाधन समझ कर सत्पुरूष उससे दूरी बनाये रखते थे, अब लोग भूलते जा रहे हैं कि कालाधन के उपयोग से भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। बाबा ने कथा आगे बढ़ाई।

'अवैध ढंग से कमाये गये या पापकर्म में लिप्त व्यक्ति का भोजन करने से व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है। वह उचित अनुचित में भेद करना भूल जाता है। कलियुग में तो भोजन के साथ ही सम्पत्ति के और विविध रूप बन गये है, उनमें स्वर्ण, प्रमुख है। महाराज परीक्षित की कथा कौन नहीं जानता है। वे कलियुग के पहले महान प्रतापी राजा थे। बहुत धर्म पारायण थे। परन्तु स्वर्ण मूकुट धारण करते ही उनका विवेक समाप्त हो गया और उन्होंने साधु महात्माओं के बारे में भी सन्देह करना प्रारम्भ कर दिया।

(6)

कथा इस प्रकार है। महाभारत के बाद कलियुग प्रारम्भ हो गया। कलियुग के प्रथम राजा हुए धनुर्धारी अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित। एक बार वे तैयार होकर राज्य का भ्रमण करने और आखेट के लिये जा रहे थे कि मार्ग

में उन्होंने देखा कि एक बहेलिया एक बैल को पीटे जा रहा था। बैल भी ऐसा निस्सहाय कि उसके तीन पांव गायब थे। वह एक पांव पर ही किसी तरह घिसट–घिसट कर चल रहा था। इसे देखकर महाराज परीक्षित रूक गये। उन्होंने बहेलिये से पूछा– यह धर्म विरूद्ध काम क्यों कर रहे हो। बहेलिये ने कहा– ‘राजन, यही मेरी नियति है। मैं कलियुग हूँ। जिसे आप बैल के रूप में देख रहे है, वह वास्तव में धर्म है। हमारे समय में अर्थात धर्म का एक चौथाई अर्थात एक पांव ही रहेगा। कलियुग ने कहा– ‘मेरे मन में जब आयेगा इस एक पैर वाले धर्म को प्रताड़ित भी करूंगा।’ परीक्षित ने कहा– ‘नहीं मेरे राज्य में ऐसा पाप कर्म नहीं हो सकता है।’ बहेलिये के रूप में कलियुग ने निवेदन किया– ‘श्रीमान् अब मेरा समय प्रारम्भ हो गया है। मुझे आपके राज्य में ही रहना है। अतः मेरे रहने के लिये कोई स्थान दीजिये।’ परीक्षित ने कहा– ‘बताओ कहां रहना चाहते हो। कलियुग ने कहा– :महाराज ! मुझे स्वर्ण में निवास करने की अनुमति दे।’ परीक्षित ने कहा– ‘एवमस्तु।’ ‘तुम स्वर्ण में निवास कर सकते हो’। इतना कह कर परीक्षित आगे बढ़ गये। यह राजाज्ञा हो गई। कलियुग ने देखा कि महाराज परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट सुशोभित है। कलियुग चतुराई से गुप्त रूप से महाराज के मुकुट में घुस गया। महाराज परीक्षित की मति बदल गई। थोड़ी दूर जाने पर परीक्षित ने एक आश्रम देखा। आश्रम के प्रांगण में एक तपस्वी ध्यानमग्न थे। महात्माओं, मुनियों और तपस्वियों का सदा सम्मान करने वाले परीक्षित ने कलियुग के प्रभाव में आकर सोचना प्रारम्भ किया।

यह कितना ढोंगी महात्मा लगता है। इतना नहीं परीक्षित ने तपस्यारत ध्यान मग्न महात्मा के सामने पृथ्वी पर पड़े हुए मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर महात्मा के गले में डाल दिया और आगे बढ़ गये। महात्मा ध्यान में मग्न रहे। थोड़ी देर बाद उनका पुत्र ऋषि कुमार आश्रम में आये। उन्होंने देखा किसी ने उनके पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया है। ऋषि कुमार अपने पिता का अपमान देखकर

अत्यन्त क्रोधित हुए। उन्होंने शाप दे डाला 'जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में यह मृत सांप डाला है। एक सप्ताह बाद इसी सांप के काटने से उस पापी की मृत्यु हो जायेगी। ऋषि कुमार को यह पता नहीं था कि उनके पिता के गले में मृत सांप डालने वाला कोई और नहीं बल्कि उस राज्य के नरेश महाराज परीक्षित है। इधर परीक्षित जब आखेट से लौटकर आये और उन्होंने अपना मुकुट उतार कर रखा वे कलियुग के प्रभाव से मुक्त हो गये और पुनः उनके अन्दर का सात्विक विचार सक्रिय हो गया। बीती बाते उन्हें याद आने लगी। उन्होंने सोचा यह अनर्थ मुझसे कैसे हो गया। इतने में ही कलियुग ने जो स्वर्ण मुकुट में छिपा हुआ था प्रगट होकर महाराज से निवेदन किया– 'आर्य यह मेरे प्रभाव के कारण हुआ है।' इतना कह कर कलियुग पुनः अपने सूक्ष्म रूप में आ गया। उसी समय से कलियुग 'स्वर्ण' में निवास कर रहा है।' कोई भी देख सकता है स्वर्ण के कारण समाज में कितनी बुराइयां है। शाप के अनुसार एक सप्ताह बाद मरा हुआ सांप जिन्दा हो गया उसने परीक्षित को डस लिया और उनका निधन हो गया, उनके बाद परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने सत्ता संभाली। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नाग याज्ञ किया, जिसमें लाखों निर्दोष नागों की हत्या हो गई। यह भी कलियुग का प्रभाव है।

(8)

वर्तमान में भी लोग अपना कालाधन स्वर्णभूषण के रूप में ही रखते है और तरह–तरह के संकटों को झेलते है। अब कालाधन और सामान्य धन मिलजुल कर साथ–साथ रहते हैं। काला धन अधिक होने के कारण सामान्य धन दबकर रहता है। नोटबंदी ने कालाधन समाप्त करने की कोशिश की, किन्तु इस प्रयास में बहुत सारा कालाधन सफेद हो गया। यह कलियुग है, अतः कालाधन की प्रधानता रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरित मानस में कहा– मातपिता बालकन्हि बोलावहिं। उदर भरै सोइ धर्म सिखावहि। अर्थात माता पिता अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना

पसन्द करते है जिससे येन–केन प्रकारेण धन अर्जित किया जा सके। प्राचीन काल से ही सभ्य समाज में राजा को सुरक्षा देने के बदले प्रजा से कर लेने का अधिकार है। राजसत्ता में कर छुपाना बहुत मुश्किल था। लोकतंत्र में शासन को खर्चे के लिये अपने नागरिकों से विभिन्न प्रकार के कर लेने का अधिकार है, परन्तु बहुत से लोग लालच में सही कर या पूरा कर देना नहीं चाहते है। यही से कालाधन का जन्म होता है।

कालाधन या ब्लैकमनी किसी भी प्रकार से सामान्य धन या सफेद धन से अलग नहीं होता है। कालाधन या ब्लैक मनी का तात्पर्य उस धन से होता है, जिस पर नियमानुसार कर नहीं चुकाया गया है। इसके अलावा जो धन अवैध ढंग से कमाया जाता है, वह भी कालाधन की श्रेणी में आ जाता है। इन दोनों ही प्रकार के धनों को कालाधन कहना समुचित नहीं है। कालाधन वह धन है, जिसके स्रोत का खुलासा नहीं नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः कालाधन की पहली श्रेणी वह है जिस पर आलस्यवश या जान बूझकर कर नहीं चुकाया गया है। ऐसा धन वैध तरीके से कमाया गया धन हो सकता है।

परन्तु आपराधिक कृत्यों जैसे घूस, मादक द्रव्यों की तस्करी, चोरी, डकैती, लूट, बेइमानी, विश्वासघात, चोरी गई सम्पत्ति की खरीद फरोख्त, चीटिंग, अपहरण आदि से कमाये गये धन को दूसरी श्रेणी का कालाधन कहा जाता है। परन्तु इन दोनों प्रकार के धनों में भिन्नता होने के कारण दूसरे प्रकार के धन को अर्थात चोरी, घूसखोरी आदि से अर्जित धन को रेडमनी कहना ही उचित होगा। ब्लैकमनी अधिनियम में 2015, इस प्रकार की व्याख्या है। वैध तरीके से अर्जित धन अगर नियमों के अन्तर्गत कर योग्य नहीं है, तो उस पर कर नहीं लगाया जा सकता है। परन्तु रेडमनी की राशि जितनी भी है उस पर दण्ड और कर दोनों देय हो जाता है।

प्राचीन काल में कृषि की उपज का छठवां हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। इसी प्रकार अन्य व्यवसायों से होने वाली आमदनी पर भी कर देना पड़ता था। परन्तु वर्तमान समय में लोकतंत्र में कर वसूलने के लिये आयकर कानून बनाया गया है। जिसमें समय–समय पर परिवर्तन भी होता रहता है। वर्तमान आयकर कानून के अनुसार ढाई लाख रूपये तक की सालाना आय पर कर देय नहीं है। परन्तु ढाई लाख से एक रूपया भी अधिक होने पर नागरिकों को आयकर रिटर्न भरना और कर जमा करना अनिवार्य है। इसका तात्पर्य यह है कि लगभग 21 हजार रूपये से ऊपर तक की मासिक आय वाला व्यक्ति आयकर के अन्तर्गत आ जाता है। वर्तमान में हमारे देश में आय कर देने वालों की संख्या पांच करोड़ से कुछ अधिक है। नोटबंदी लागू होने के बाद यह संख्या बढ़ रही है, परन्तु यह संख्या अब भी बहुत कम है। हमारे देश में लगभग बीस करोड़ लोग ऐसे है जो समान कहे जा सकते हैं। यही लोग भारत को दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनाते है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि लगभग पन्द्रह करोड़ लोग अपनी आय छिपा रहे है। इन्हें अपनी आय का हिसाब देना चाहिये। किन्तु दिक्कत यह है कि इनमें से अधिकांश की सम्पत्ति कालाधन और वह भी रेडमनी के रूप में है।

नागरिकों में विभिन्न श्रेणियों के लोग है। जिन की आमदनी का हिसाब लगाना कठिन ही नहीं असंभव भी है। वर्तमान में आयकर देने वालों में अधिकतर वहीं लोग शामिल है जो सरकारी या गैर सरकारी विभागों में काम करते है। स्रोत पर ही उनके वेतन से आयकर काट लिया जाता है। परन्तु ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जिनकी आमदनी कर योग्य है परन्तु वे कर नहीं चुकाते है।

डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, भिखारी, मठों और मंदिरों के मालिक ज्योतिषी, लेखक और पत्रकारों में एक बड़ा वर्ग है, जिनकी आमदनी कर योग्य है, परन्तु वे कभी आयकर नहीं देते हैं। डॉक्टर, वकील, सीए आदि जो आयकर देते हैं वे भी कम आमदनी बताकर आयकर रिटर्न भरते है। कृषि पर तो आयकर लगता ही नहीं है। अतः बड़े किसान लाखों की आमदनी होने के बाद भी आयकर नहीं देते है। इन सबकी आमदनी कालाधन और वह भी रेडमनी में परिवर्तित हो जाती है। मन्दिरों के सामने बैठे हुए कई भिखारी भी ऐसे होते है जिनकी आमदनी लाखों में होती है। वे कभी आयकर नहीं देते है। अब तो वेश्यावृत्ति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। परन्तु कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार वेश्यायें भी टैक्स देती थी। आजकल अवैध ढंग से वेश्यावृत्ति चालू है। अवैध होने के कारण उनसे टैक्स भी नहीं लिया जा सकता है।

भीख मंगवाने और लड़कियों की खरीद फरोख्त एक अतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है। इसमें लाखों रूपये की पूंजी लगी हुई है। इसके साथ ही मादक पदार्थो और शराब की तस्करी में अरबों की पूंजी लगी है, जिससे लगातार कालाधन अर्थात रेडमनी का उत्पादन हो रहा है। पर लोकतंत्र के लिये ये भी खतरा है। कालाधन की समस्या के समाधान के लिये इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहीं से कालाधन की कथा प्रारम्भ होती है।

<><><><><>

(11)

कालाधन का स्रोत

किसी भी देश में कालाधन निम्नलिखित कारणों से पैदा होता है–

(01) भ्रष्ट नौकरशाही

(02) राजनीति का औद्योगीकरण

(03) स्विस कनेक्शन– विदेश में अवैध ढंग से अर्जित सम्पत्ति

(04) नकली नोट

(05) सरकारों के बजट

(06) अवैध कारोबार और कर चोरी

मैं गलत हो सकता हूँ, पर मेरी राय में सरकारें ही कालाधन का प्रमुख स्रोत है। सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार रूपी कमल की नाल से कालाधन का फूल खिलता हे। प्रकृति की तरह जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी, ब्यूरोक्रेसी राजनेता और उद्यमी का संतुलन बन जाता है तो कालाधन का फूल खिलने लगता है। जहां इनके संतुलन में गड़बड़ी होती है, भ्रष्टाचार की खबरें बाहर आने लगती है। जब तक संतुलन बना रहता है कोई माई का लाल सरकारी तंत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को साबित नहीं कर सकता है। अब इन तीन तत्वों का विवेचन किया जाना चाहिए।

ब्यूरोक्रेसी सतोगुण है। क्योंकि ये लोग मेधावी होते है। अपनी मेहनत के बल पर प्रतियोगिता परीक्षा पास करके नौकरी में आते है। यद्यपि इनमें पचास प्रतिशत लोग आरक्षण के सहारे आते है। परन्तु वे भी कम मेधावी नहीं होते है। इन्हें अच्छी खासी तनख्वाह और सुविधायें मिलती है। अगर ये घूस न ले तब भी इनको जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। इनमें सब लोग भ्रष्ट नहीं होते हैं। परन्तु कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं, जो रजोगुण अर्थात राजनेताओं से मिलकर तमोगुण के साथ संतुलन बनाते है और कालाधन का कमल खिलाते है। अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्य सचिव को नोटों की अदला–बदली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनके पास से करोड़ों की अघोषित सम्पत्ति बरामद की गई। यह छोटी बात नहीं। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में दो–दो मुख्य सचिवों को जेल जाना पड़ा। एक महिला मुख्य सचिव तो अब भीजेल में हैं। संयोग से इन दोनों अधिकारियों को मुख्य सचिव बनाने वाले नेता एक है। ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है– सिविल सर्विस बिहार के एक टॉपर को नौकरी से हटाया गया, जबकि एक अन्य टापर जेल जा चुका है। ब्यूरोक्रेसी अगर चाहे तो सरकारी क्षेत्र का कालाधन पूरी तरह समाप्त हो सकता है। परन्तु क्या यह कभी होगा।

धन कमाना और धन संग्रह करना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। परन्तु शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की प्रवृत्तियों का परिष्कार किया जाता है। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ जो अगर रास्ते में उन्हें सड़क पर गिरा हुआ पैसा मिल जाये तो उसे उठाकर तुरन्त मन्दिर में दान पात्र में डाल देते हैं या भिखारी को दे देते हैं। आम आदमी के समूह में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं।

हम अक्सर अखबारों में पडते हैं कि किसी व्यक्ति का बटुआ रिक्शे पर छूट गया, तो रिक्शेवाले ने उन्हें खोज कर उनका बटुआ लौटा दिया। परन्तु यह अलग बात है कि बाहर जाने वाले व्यक्ति की जेब कट जाती है, लोग छीन लेते है, यहां तक कि थोड़े से पैसो के लिए व्यक्ति की हत्या भी कर देते है। ऐसी आपराधिक घटनाओं की वृद्धि तब हो जाती है जब समाज को संस्कार नहीं दिया जाता है। धन संग्रह की इच्छा जब लिप्सा में बदल जाती है, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है।

भारतीय संस्कृति में सर्वदा त्याग, सादगी और परोपकार पर बल दिया गया है। धन संग्रह को प्रशंसनीय कार्य नहीं समझा जाता है। परन्तु वर्तमान समय में ऐसे लोगों की प्रधानता हो गई है जो किसी भी तरह धन संग्रह करने को जीवन का उद्देश्य मानते है। कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य में क्या सुन्दर और प्रेरक चित्र प्रस्तुत किया है। प्रसंग इस प्रकार है– कौत्स नामक एक ब्राह्मण कुमार वर्तन्तु ऋषि के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाता है। शिक्षा पूरी होने के बाद सभी शिष्य गुरू दक्षिणा देते है। इस अवसर पर कौत्स ने कहा– 'गुरूदेव मैं भी गुरू दक्षिणा देना चाहता हूँ।' इस पर वर्तन्तु ऋषि ने कहा– 'तुम ब्राह्मण कुमार हो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि गुरू दक्षिणा दे सकते हो। अतः तुम्हें गुरूदक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं।' कौत्स गुरू दक्षिणा देने पर अड़ गये। उन्होंने कहा कि मैं भी गुरू दक्षिणा अवश्य दूंगा। क्योकि गुरू दक्षिणा दिये बिना शिक्षा अधूरी रहती है। इस पर खीझ कर गुरू ने कहा कि ठीक है कि जाओ सत्रह हजार स्वर्ण मुद्रायें लाओ। कौत्स के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर उन्होंने अपनी शिक्षा का सहारा लिया। तत्कालीन समाज में ब्राह्मण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व उस राज्य के राजा का होता है, जिस राज्य में ब्राह्मण रहता है। कौत्स ने निर्णय लिया कि वह राजा रघु के सामने अपनी समस्या रखेंगे। वे रघु के पास गये। उस समय रघु की अवस्था बिल्कुल निर्धन जैसी थी। उन्होंने सब कुछ दान दे दिया था। स्वयं भूमि पर सोते थे और मिट्टी के बर्तनों में खाते–पीते थे। ऐसे समय कौत्स ने उनके पास पहुंच कर निवेदन किया कि मेरी आवश्यकता की पूर्ति का दायित्व आपका है, क्योंकि आप मेरे राजा है।

रघु ने कहा– 'ठीक है आप कल लाइये।' इस बीच रघु ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि कुबेर पर चढ़ाई करके धन लाया जाये, ताकि कौत्स को दिया जा सके। कुबेर को जब

इस बात का पता चला, तो उन्होंने पहले ही बहुत सारा धन रघु के यहां पहुंचा दिया। दूसरे दिन जब कौत्स आये, तो राजा ने कहा– 'उठा ले जाइये। यह सारा धन आपका है।' कौत्स ने उस धनराशि में से मात्र सत्रह हजार स्वर्ण मुद्रायें गिनकर ले ली और कहा– 'मुझे इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है।' रघु ने कहा– 'नहीं यह सारा धन आपके लिये आया है। आपको लेना ही होगा।' कौत्स ने कहा– :राजन सत्रह हजार स्वर्ण मुद्राओं से एक भी मुद्रा अधिक लेना मेरे धर्म के विपरीत होगा।' इस अवसर कालिदास ने लिखा– यह अपूर्व अवसर था। देने वाला कहता है कि आप सब ले जाओ और लेने वाला कहता है मैं इससे अधिक नहीं ले सकता। इस तरह का सहित्य अगर छात्र जीवन में युवाओं को पढ़ाया जाये तो उन्हें ईमानदार बनने की प्रेरणा मिलेगी। परन्तु दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा का अभाव है।

एक दिन फेशबुक पर एक वीडियो शेयर किया गया। इसमें सुरक्षा बल का एक जवान अपना दुःखड़ा रो रहा था। जवान ने कहा कि सरकार जवानों के लिए सब कुछ देती है, किन्तु अधिकारी उनका राशन बेंच कर खा लेते है और उन्हें भूखें रहकर इन कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। ऐसे अधिकारी ही कालाधन बनाते हैं। इससे घृणित काम क्या हो सकता है। अधिकारियों को भी अच्छी तनख्वाह और सुविधायें मिलती है। उन्हें भ्रष्टाचार करके धन कमाने की क्या जरूरत है। यही कलियुग है। धर्म नौकर हो गया है अधर्म का।

ब्यूरोक्रेसी सुप्रीम है। उसके ऊपर कोई नहीं है। अफसर अगर चाहें तो राजनेता भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं, परन्त दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर एक अफसर भ्रष्टाचार में राजनेता का साथ नहीं देता है, तो दूसरे कई अफसर मिल जाते है, जो स्वयं भी भ्रष्टाचार करते है और राजनेता को भ्रष्टाचार में सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि समूची नौकरशाही भ्रष्ट है अगर ऐसा होता तो व्यवस्था टूट गई होती। परन्तु देश का काम हो रहा है, यही इस बात का सबूत है कि नौकरशाही सही रास्ते पर है, कुछ अपवादों को छोड़कर।

<><><><><><>

(15)

राजनीति का औद्योगीकरण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 'न खाऊँगा, न खाने दूंगा' मोदी जी की यही विशेषता है। वे जुमले बहुत बोलते हैं। 'न ही खाऊँगा' तो स्वयं के नियंत्रण पर है, 'परन्तु खाने नहीं दूंगा', लोकतंत्र में संभव है क्या ! यह तानाशाही में ही संभव है जहां विपक्ष या

न्यायपालिका नहीं होती है हां इतना जरूर है कि अगर बड़े लोग तय कर ले तो भ्रष्टाचार कम हो जायेगा।

प्रख्यात समाजवादी चिन्तक डॉ0 राम मनोहर लोहिया जाति तोड़ो आन्दोलन के अगुवा थे, किन्तु वास्तव में वे राजनीति में जातिवाद के प्रवर्तक सिद्ध हुये। उन्होंने ही यह नारा दिया कि 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी'। इसी नारे से 65 प्रतिशत या 85 प्रतिशत का आक्रामक कार्यक्रम शुरू हुआ। यही से मंडल आयोग आया, जिसने राजनीतक दृष्टि से समाज को बांट दिया। यहां से जाति पर आधारित राजनीति शुरू हुई। अपने को समाजवादी कहने वाले राजनेता मुलायम सिंह यादव ने यादवों को अपना दीवाना बनाया और मुसलमानों के मसीहा बन गये। इसी कारण से वर्षो सत्ता पर काबिज रहे। उन्होंने समाजवाद के लिए कया किया। लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण जरूर कराया। इससे समाज में कितनी बराबरी आई। हाँ अपने परिवार के लोगों से प्रदेश की राजनीति को भर दिया।

समाजवाद के लिए ठोस काम सबसे पहले कांग्रेस ने ही किया। जमीनदारी प्रथा समाप्त करके। चौधरी चरण सिंह ने किया पटवारी प्रथा समाप्त करके और भूमिधर कानून लागू करके। इन्दिरा गांधी ने रजवाड़ों का प्रीवी पर्स समाप्त करके समाज में समानता स्थापित की। विधायिका में महिलाओं को आरक्षण देने का विधेयक कांग्रेस ने लोकसभा में पारित करा दिया है, परन्तु राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के विरोध के कारण यह विधेयक लटका पड़ा है। लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है और न निकट भविष्य में इनकी नियुक्ति की उम्मीद है। लोकायुक्त और लोकपाल भ्रष्टाचार समाप्त करने में कितना कारगर साबित होंगे कहा नहीं जा सकता।

(16)

सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की दूसरी कड़ी राजनेता है। पहले राजनेता अफसरों से गलत काम कराने में संकोच करते थे। परन्तु अब ऐसा माहौल बन गया है कि दोनों मिलकर सरकारी खजाने को खा रहे हैं। जनता मूकदर्शक है, बेबस है। राजनीति अब समाज सेवा का साधन नहीं उद्योग बन गई है। उद्योग के सारे नियम राजनीति में लागू होते हैं। पूंजी जितनी लगाई जायेगी उतना ही लाभ मिलेगा। किसी भी तरह सत्ता पर काबिज होना राजनीति का उद्‌देश्य बन गया है। ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार का बढ़ना स्वाभाविक है। राजनीति को फिर

से समाज सेवा का माध्यम बनाने के लिए कुछ ठोस उपाय करने होंगे। चुनाव सुधार उसमें से एक उपाय है। परन्तु यही काफी नहीं है। राजनीति में आने से कई लाभ और सुविधायें मिलती है। इन्हें न्यूनतम करना होगा। जब राजनीति से कोई लाभ नहीं होगा, तो लालची, बेईमान और भ्रष्ट लोग अपने आप राजनीति से दूर हो जायेंगे और वे ऐसे क्षेत्रों में चले जायेंगे, जहां उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि राज्यों को अपना प्रशासनिक खर्च स्वयं वहन करना चाहिए।

अवैध खनन भ्रष्टाचार और कालाधन का एक बड़ा स्रोत है। यह कारोबार देशभर में फैला हुआ है। इसके लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में गायत्री प्रजापति का रोचक मामला है। खनन कारोबार में लगे गायत्री प्रजापति के खिलाफ आरोपों की जांच लोकायुक्त ने की। उसे भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला, फिर इस मामले की सीबीआई से जांच कराने के लिए एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया। आश्चर्य है कि इस आदेश के खिलाफ प्रदेश की तत्कालीन अखिलेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले खनन पर रोक लगा दी। परन्तु अंत में मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दे दिया। राज्य सरकार ने पहले हाईकोर्ट का आदेश ध्यान में रखकर गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से हटा दिया परन्तु बाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता के कहने पर गायत्री प्रजापति को फिर कैबिनेट में शामिल कर लिया गया।

मुख्यमंत्री ने प्रजापति को पहले कैबिनेट से इसलिए नहीं हटाया था, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, बल्कि कैबिनेट से नहीं हटाये जाने का कारण गायत्री प्रजापति का संबंध पार्टी के वरिष्ठतम नेता से होना था। परन्तु बाद में मुख्यमंत्री के विरोधी खेमे के साथ संबंध रखने के आरोप में गायत्री प्रजापति को कैबिनेट से हटा दिया गया।

भ्रष्टाचार अब विश्वव्यापी समस्या बन गई है। राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के जुड़वा भाई बन गये हैं। यहां तक कि साम्यवादी विचार के बड़े–बड़े नेता भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जा रहे हैं। भारत में स्थिति अलग है। आजादी के 70 साल बाद भी यहां के साम्यवादी नेताओं को देखने से ही लगता है कि उन्होंने राजनीति से कुछ खास कमाया नहीं

है। परन्तु इसका अपवाद एक वामपंथी नेता थे, जिनकी पटरी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता से खूब बैठती थी। वामपंथी सांसद और विधायकों को देखने से ही लग जाता है कि वे केवल राजनेता है। वे आज भी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा अपनी पार्टी को देते है।

अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पदसे सेवानिवृत्त बान की मून के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उनके पुत्र और उनके भाई ने अवैध ढंग से काफी सम्पत्ति बनाई है। बान की मून दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले है।

सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की दूसरी कड़ी रजोगुण राजनेता होते हैं। उन्हें इस बात का अहंकार होता है कि चूंकि उनका चयन जनता ने किया है। अतः वे अफसरशाही से अधिक शक्तिशाली है। बात सही है। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि को अधिक अधिकार होते हैं, परन्तु देश में संविधान और अन्य नियम कानून सबसे ऊपर है। राजनेता नये होते हैं। अतः वह सत्ता में आते ही पुरोन अफसरों के भ्रष्ट वर्ग से जुड़ जाते हैं, जबकि अफसरशाही का यह दायित्व है कि वह किसी भी मुद्दे पर संवैधानिक और कानूनी दृष्टिसे राजनेताओं को उचित सलाह दे। परन्तु अब तो स्थिति ही अलग है।

(18)

कुछ ब्यूरोकैट और राजनेता मिलजुल कर सरकारी खजाने की लूट कर रहे हैं। परिणाम यह होता है कि भारी मात्रा में कालाधन का सृजन प्रतिवर्ष हो रहा है। रांची के पास एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है। शायद अब पूरी हो गई होगी। 37 वर्ष पहले की बात है। उस समय यह परियोजना बिहार सरकार के अतंर्गत थी। संयोग से एक बार मैं उस परियोजना के कार्यो को देखने गया था। मौके पर उपस्थित एक वरिष्ठ इंजीनियर ने बताया कि परियोजना के लिए धनराशि विधानसभा ने बजट में पारित कर दिया है। परन्तु प्रशासन बजट रिलीज नहीं कर रहा है। इंजीनियर ने जो कारण बताया उसे सुनकर मेरा माथा चकरा गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सरकार में ऐसा भी होता है। इंजीनियर ने बताया कि विभागीय सचिव कह रहे है कि हमारा हिस्सा दे दो, और बजट ले जाओ नहीं तो लैप्स हो जायेगा। यदि लोकतंत्र की ब्यूरोक्रेसी का हाल आज से 37 वर्ष पहले इस प्रकार था, अब क्या हाल होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। अब तो मंत्री जी संभवतः स्वयं मुख्य अभियंता से अपना कमीशन मांग लेते है।

यह सच है कि पैसे के बिना राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती। परन्तु यह भी सच है कि केवल पैसे के बल पर भी चुनाव नहीं जीते जा सकते। राजनेताओं की मजबूरी है कि अगर उन्हें सफलता हासिल करनी है तो पैसा कमाना ही होगा। परन्तु ब्यूरोक्रेट के सामने ऐसे कोई मजबूरी नहीं। अगर ब्यूरोक्रेट घूस नहीं लेता, तब भी वह समानित ढंग से जीवन यापन कर सकता है। परन्तु धन कमाने और धन संग्रह की इच्छा जब लिप्सा में बदल जाती है, तो फिर धन संग्रह की कोई सीमा नहीं। एकबार एक बड़े अभिनेता ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वह इतना धन कमाना चाहता है, ताकि उसकी तीन पीढ़िया ऐशो आराम से रह सके। रामचरित मानस में सूर्पणखा और रावण के संवाद में– सूर्पणखा ने रावण से कहा कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। अर्थात धन के बिना राजनीति नहीं चल सकती। लेकिन अगर अनैतिक ढंग से धन संग्रह किया जाये तो ऐसी राजनीति शीघ्र नष्ट हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने यह बात यह बात आज से लगभग साढ़े चार सौ वर्ष पहले लिखी भी जो आज भी समीचीन है। परन्तु जिन लोगों ने जिस किसी तरह राजनीति के माध्यम से धन कमा लिया, उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है।

(19)

राजनीति में समाजवाद की चर्चा बड़े जोरशोर से पहले होती थी। परन्तु अब कोई इसका नाम भी नहीं लेता। समाजवाद का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, क्योंकि आजादी के पहले सभी दल आम आदमी को अधिकार देने के पक्षधर थे। आजादी के कुछ दिनों बाद कांग्रेस से नाराज होकर कुछ लोगों ने समाजवादी राजनीतिक दलों का गठन किया। इनमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रमुख थे। 1967 के आम चुनाव में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। बिहार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। एकबार 1970 में और दोबारा 1977 में। वे स्वतंत्रता सेनानी थी। वे जब मुख्यमंत्री थे, तब भी उनका परिवार उनके साथ नहीं रहता था। उन्होंने अपने पैतृक गांव में अपना मकान तक नहीं बनवाया। वे सच्चे समाजवादी थे।

कुछ दिनों बाद जे.पी. आन्दोलन की उपज लालू मुख्यमंत्री बने। वे चारा घोटाले में सजा पाकर इन दिनों जमानत पर है। वे जब जेल में थे, तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। कुछ दिनों पहले नीतीश बाबू के मंत्रिमंडल में उनका एक बेटा उप मुख्यमंत्री या, एक मंत्री था, बिटिया राजयसभा सांसद है। लालू मुलायम सिंह यादव के समधी है। मुलायम सिंह यादव के परिवार के सभी सांसद, विधायक ब्लाक प्रमुख आदि है। उन्होंने

समाजवाद लाने के लिए क्या किया। इन लोगों से यह उम्मीद करना कि ये भ्रष्टाचार और कालाधन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, बैल से दूध निकालने जैसा साबित होगा। इन्होंने संविधान के अनुरूप कार्य करके सत्ता हासिल की है। कोई क्या कर सकता है। इनके शासनकाल में ब्यूरोक्रेट और राजनेता का सहयोग अपूर्व होता था। मुलायम सिंह के दो–दो मुख्य सचिव न्यायालय से दंडित हो चुके हैं। एक तो अभी भी जेल में हैं। मुलायम सिंह जी पतित पावन उदार मन के है, वे माफिया और कालाधन के कारोबारियों को भी खुशी खुशी अपनी पार्टी में शामिल कर लेते है।

चुनाव जीतने के लिये कैसे–कैसे नारे बनाये जाते है। 1965 में शास्त्री जी ने नारा दिया– 'जय जवान, जय किसान'। यह आज भी दोहराया जाता है। 1967 में उ0प्र0 में समाजवादी दलों ने नारा दिया– समाजवादियों ने बांधी गाठ। पिछड़े पायें सौं में साठ।

इसके आधार पर पहली बार समाजवादी सरकार यू0पी0 में बनी। 1971 में इंदिरा जी ने नारा दिया– 'गरीबी हटाओ' और उन्हें चुनाव में सफलता मिल गई। 1975–77 में जेपी आन्दोलन का नारा था– 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है'। 1978–80 में नारा था– 'एक शेरनी, सौ लंगूर– चिकमंगलूर चिकमंगलूर'। 1984 में जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा।' 1998–99 में 'बारी–बारी सबकी बारी, अबकी बारी अटल बिहारी।'

1989 में 'राजा नहीं फकीर है। भारत की तकदीर है' तथा सेना खून बहाती है, सरकार कमीशन खाती है। 1989–90 में रामलला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनायेगे।' जो हिन्दू हित की बात करेगा, वहीं देश पर राज करेगा।

1993– मिले मुलायम कांशीराम। हवा में उड़ गये जय श्रीराम। और

'बाबा तेरा काम अधूरा, कांशी राम करेगा पूरा।

2007 में बसपा ने– हाथी नहीं गणेश है। ब्रह्मा, विष्णु महेश है। बसपा ने समय–समय पर नये–नये नारे बनाये। 1989 में 'तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। 2007 में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। जबकि 2012 में जिस की जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गत उत्तर प्रदेश विधानसभा चनाव में इस बार बसपा ने नारा दिया– 'बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान।' सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय के अनुसार बसपा ने सभी जातिवादी नारे छोड़ दिये है। पहले के नारे थे– 'हाथी सूड़ हिलायेगी। साइकिल कमल और पंजे को कुचलकर फिर से बसपा सरकार बनायेगी।'

1995 में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया चोर। बाकी है डीएस–4। 2002 में बसपा ने कहा– ब्राह्मण साफ, ठाकुर हाफ और बनिया माफ। 2007 में बसपा ने नारा दिया–ब्राह्मण शंख बजायेगा–हाथी बढ़ता जायेगा। बसपा के नारों से ही लगता है कि बसपा ने अपना स्टैंड लगातार बदला है।

भ्रष्टाचार अभी भी मतदाताओं को रिझाने के लिए अच्छा मुद्दा है। यही इस बात का प्रतीक है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार में कितनी गहराई तक जड़े जमा ली है। सबसे पहले जय प्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर इंदिरा जी को सत्ता से हटा दिया। परन्तु जनता सरकार के घटक दलों के आपसी कलह के कारण जल्द ही उनकी सरकार गिरी और इंदिरा जी फिर पावर में आ गई।

इसके बाद राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स तोप सौदों में दलाली का मुद्दा उछाल कर सत्ता हासिल कर ली। परन्तु जिस छल कपट से उन्होंने सत्ता हथियाई उसे स्थायी तो रहना नहीं था। राजा मांडा भारतीय राजनीति में नेताओं की एक अलग श्रेणी के नेता थे। राजीव गांधी की अमिताभ बच्चन से नजदीकी राजा मांडा को पसन्द नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोफोर्स का मोर्चा खोल दिया। राजीव गांधी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। राजा मांडा ने 2 अक्टूबर 1987 को अपना एक अलग मोर्चा बना लिया। इसमें भाजपा भी शामिल हो गई। सात दलों के मोर्चो के निर्माण के बाद 11 अक्टूबर 1988 को राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण हो गया। 1989 के चुनाव में कांग्रेस को बोफोर्स के कारण से केवल 197 सीटें मिली और बीपीसिंह मोर्चे को 146। परन्तु भाजपा के 86 सांसद थे। वामदलों के 52 सांसदों ने भी राजा मांडा को समर्थन दे दिया। इस प्रकार राजा मांडा चन्द्रशेखर को धोखे में रखकर पीएम बन गये और लगभग एक वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग लागू करके देश में जातीय संघर्ष को जन्म दिया।

जनता एक बार फिर ठगी गई। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता हथिया ली और अपने गुरू अन्ना हजारे को किनारे कर दिया। अब दिल्ली में क्या हो रहा है। केजरीवाल ने अपने वादे के अनुसार काम नहीं किया, जो उसकी कार्यशैली का विरोध करते थे, उन सभी को पार्टी से निकाल कर बाहर किया। केजरीवाल से पहले उनके द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के नारे के साथ नरेन्द्र मोदी ने लोगों को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर केन्द्र में भाजपा को बहुमत दिला दिया। अब मोदी जी की कार्यशैली से लगता है कि वे किसी से राय लेना पसन्द नहीं करते। नोटबंदी भ्रष्टाचार को हटाने की दिशा में एक अच्छा और कारगर कदम है। परन्तु उसका वह परिणाम नहीं निकला जो मिलना चाहिए। नोटबंदी की घोषणा करते हुए मोदी जी ने कहा था– "भाइयों, बहनों केवल 50 दिन का समय दो, उसके बाद अगर सब कुछठीक नहीं हुआ तो मुझे चौराहे पर खड़ा करके जो सजा देना चाहो दे दे।" अब विपक्ष पूछ रहा है– "मोदी जी वह चौराहा बताइये जहां आपको सजा दी जाये। मोदी जी को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि यह देश उनकी अपनी सम्पत्ति नहीं है।

इस देश के बारे में कोई भी निर्णय लेने के पहले उन्हें अपने सहयोगियों और सलाहकारों की भी सलाह लेनी चाहिए। परन्तु मोदी जी के रूप में देश को एक अच्छा नेता मिला है। वे

ईमानदार है, वे भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते है। उन्होंने कालाधन समाप्त करने के लिए कई कदम उठाये है। परन्तु उनकी थोड़ी सी असावधानी के कारण नोटबंदी का अपेक्षित लाभ नहीं मिला।

भ्रष्टाचार का तीसरी खिलाड़ी बहुत शक्तिशाली है। बड़े औद्योगिक घराने, सत्ता के दलाल, विदेशी कम्पनियां, एनजीओ ऐसे तत्व है जो निरनतर सरकार की नीतियों को अपने अनुकूल बनाने के प्रयास करते है। इस कार्य में वे ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं को लुभाकर अपना कार्य करते है। भ्रष्टाचार का यह एक बड़ा कारण है। इसमें अक्सर बड़े मंत्री यहां तक कि प्रधानमंत्री भी फंस जाते है। इनके *संजाल* को तोड़ना बहुत कठिन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अफगानिस्तान से आते समय अचानक पाकिस्तान की यात्रा की। नवाज शरीफ के घर गये, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उनके माता के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उनके भारत लौटते ही पाकिस्तान ने पठानकोट (पंजाब) में हमारे सैनिक ठिकाने पर हमला कर दिया। कहते है मोदी जी अचानक नवाज शरीफ के घर जाने के पीछे किसी बड़े उद्योगपति का हाथ था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में 13.07.2017 को बजट पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के नेता राम गोविन्द चौधरी ने जो कहा वह राजनेताओं के बारे में बेबाक टिप्पणी है। नवभारत टाइम्स लखनऊ दिनांक 17.07.2017में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार श्री चौधरी ने कहा कि समाज में नेताओं की बहुत बेइज्जती हो रही है। लोगों ने मान लिया है कि नेता चोर ओर गुंडा होते है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि महोदय, आप एक मठ के संत है, आप भी दलदल में फंस गये है। श्री चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई से राजनीति शुरू की, लेकिन आज हम कहां पहुंच गये हैं। भ्रष्टाचार खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमएलए बनने के लिये हर कोई लगा है, लेकिन कोई सामाजिक नेता नहीं बन रहा है। श्री चौधरी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को चोर और बेईमान कहती है। सब एक दूसरे को भ्रष्ट बताते है, तो समाज ने भी मान लिया है कि नेता चोर और गुंडे हैं।

<><><><><><>

(23)

ब्लैक मनी एक्ट 2015

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान आश्वासन दिया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो सरकार विदेशों में जमा भारतीयों की सम्पत्ति स्वदेश लायेगी।

उनकी सरकार बन गई। परन्तु विदेश में जमा सम्पत्ति स्वदेश लाना आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है जिन देशों में सम्पत्ति जमा है वहां की सरकार की अनुमति या उसके सहयोग के बिना कोई भी सम्पत्ति भारत नहीं लाई जा सकती है। इस सिलसिले अदालतों की भी शरण ली गई। परन्तु कोई सफलता नहीं मिली। बहुत दिनों तक इस बात पर विवाद चलता रहा कि भारत सरकार को उन लोगों के नाम का खुलासा करना चाहिये, जिनके धन विदेशी बैंकों में जमा हैं। कुछ देशों ने कुछ नाम तो बताये, किन्तु उनका खुलासा नहीं किया जा सका, क्योंकि ऐसा करना दो देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघ्न होगा। इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार अब भी प्रयास कर रही है। इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि जिन लोगों की सम्पत्ति विदेश में हैं, उन्हें अपने आप अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहन और मौका दिया जाना चाहिये। इसी उद्देश्य से सरकार ने 'अनडिस्क्लोज्ड फारेन इनकम एण्ड एसेट्स एण्ड इम्पोजिशन में टैक्स एक्ट 2015 पारित कराया। इसे ही ब्लैक मनी एक्ट कहा जाता है। इस कानून के अन्तर्गत केवल एक बार एक निश्चित अवधि के दौरान लाभ लिया जा सकता है। यह कोई कर माफी कानून नहीं है। यह कानून वीडीआईएस 1997—आयकर की स्वैच्छिक घोषणा से संबंधित कानून की तरह है। इस कानून के अन्तर्गत 30 प्रतिशत कर तथा इतनी ही राशि दण्ड के रूप में देय होगी। जिस व्यक्ति ने इस कानून के अन्तर्गत विदेशी धन और सम्पत्ति की घोषणा की है उसके विरूद्ध इस संबंध में भविय में कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

ब्लैकमनी एक्ट एक जुलाई 2015 को लागू हो गया। इस कानून के अन्तर्गत ब्लैकमनी और 'रेडमनी' में कोई भेद नहीं किया गया है। ब्लैकमनी में आम तौर पर अवैध ढंग से अर्जित सम्पत्ति और वैध ढंग से अर्जित सम्पत्ति जिस पर नियमानुसार कर नहीं चुकाया गया है, शामिल है।

इन दोनों प्रकार की सम्पत्ति को आमतौर पर ब्लैकमनी कहा जाता है। परन्तु यह विचारणीय विषय है कि घूस, ..., चोरी, अपहरण, डकैती, बेईमानी, विश्वासघात, धोखाधड़ी आदि से कमाई सम्पत्ति निश्चित रूप से ब्लैकमनी तो है, परन्तु इसे रेडमनी कहा जाना चाहिए, क्योंकि यह ब्लैकमनी तो है परन्तु अवैध रूप से कमाई सम्पत्ति गई है। ब्लैकमनी एक्ट में भी ऐसा प्रावधान किया गया है।

भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित अघोषित सम्पत्ति की घोषणा ब्लैकमनी एक्ट के अन्तर्गत नहीं की जा सकती है। जिन लोगों के खिलाफ कोफेपोसा या अन्य कानूनों के अन्तर्गत केस चल रहा है वे भी ब्लैकमनी एक्ट के अन्तर्गत लाभ नहीं ले सकते है।

अघोषित सम्पत्ति में केवल वही सम्पत्ति आती है, जिसका हिसाब किताब नहीं दिया गया है। ऐसे मामलों में आय का स्रोत बताना जरूरी नहीं है। विदेश में नौकरी करते समय अर्जित सम्पत्ति जिसे देश में नहीं भेजा गया है, अघोषित आय नहीं मानी जायेगी। जिस सम्पत्ति का स्रोत बता दिया गया है परन्तु उसे आयकर विवरणी में नहीं दिखाया गया है, उस सम्पत्ति पर भी इस कानून के अन्तर्गत लाभ नहीं लिया जा सकता है। अघोषित विदेशी बैंक खाता जिसमें अघोषित पैसा जमा किया गया था और 5 सौ डालर की जमा राशि छोड़कर शेष राशि निकाल ली गई थी, इन्हें बंद विदेशी खाते समझे जायेंगे। विदेश में उत्तराधिकारी के रूप में अघोषित आय से प्राप्त राशि भी कर योग्य है। विदेश में बेचा गया मकान और विदेशी बैंक में जमा राशि पर कर देना जरूरी है और इस प्रकार की सम्पत्तियों को घोषित किया जा सकता है। परन्तु भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति की घोषणा इस कानून के अन्तर्गत नहीं होगी।

विदेश में जमा सम्पत्ति का पता लगाना कठिन कार्य है। परन्तु इस प्रकार कर अपवंचन करने वाले देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से डील करने के लिए एक व्यापक और प्रभावशाली कानून की जरूरत थी। इसी बात को ध्यान में रखकर केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 28 फरवरी 2015 को अपने बजट भाषण में एक नया कानून बनाने की आवश्यकता बताई थी।

इसी क्रम में ब्लैकमनी एक्ट पारित किया गया। इस कानून के अन्तर्गत जहां आलस्य के कारण विदेश में अर्जित सम्पत्ति की घोषणा नहीं की जा सकी थी उसे घोषित करने का एक अवसर प्रदान किया गया। इस कानून के अन्तर्गत अघोषित सम्पत्ति घोषित करने वालों को कुछ रियायते और सुविधाये दी गई। इस कानून का लाभ नहीं उठाने वालों के लिए दंड और जेल तक के प्रावधान दिये गये हैं। यह कोई कर माफी कानून नहीं है। एक प्रकार से विदेश में अघोषित सम्पत्ति को घोषित करने के लिए एक अवसर प्रदान किया गया है ताकि बाद में दंडात्मक कार्यवाही और सजा से बचा जा सके।

ब्लैकमनी एक्ट का उद्देश्य विदेश में अघोषित सम्पत्ति पर कर वसूलने के साथ–साथ ऐसे लोगों को दंडित भी करना है जो विदेश में अघोषित सम्पत्ति से और अघोषित सम्पत्ति बना रहे है। इसका उद्देश्य विदेश में अवैध ढंग से सम्पत्ति रखने पर रोक लगाना है। इस प्रकारके लोग इस धन का उपयोग देश की समाजिक, आर्थिक और सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। इस कानून के अन्तर्गत आयकर कानून के अलावा एक और कानून बनाना है, जिसे विदेश में अघोषित सम्पत्ति का पता लगाया जा सके।

इस कानून के अतिरिक्त सामान्य कानून के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के फलस्वरूप वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2013 तक 13 हजार करोड़ रूपये के कालेधन का पता लगाया है। जिनेवा में एचएसबीसी बैंक में जमा भारतीयों के 4 सौ मामलों में 8 हजार 186 करोड़ अघोषित आय का पता लगा।

इसी प्रकार वर्ष 2013 में इंटरनेशनल कन्सोर्टियल आफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट–आईसीआइजे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 7 सौ भारतीयों की 5 हजार करोड़ रूपये की सम्पत्ति का खुलासा हुआ। (टाइम्स आफ इंडिया 27 जून 2015)

इस योजना के अन्तर्गत पहले 3 माह में 644 लोगों ने केवल 4 हजार 147 करोड़ रूपये की अघोषित विदेशी सम्पत्ति का ब्यौरा दिया। इससे सरकार को 2 हजार 428 करोड़ की आय हुई।

एंबिट कैपिटल के अध्ययन के अनुसार मोदी सरकार की सख्ती के कारण ब्लैकमनी घटी है। फिर भी यह 30 लाख करोड़ रूपये की है, जो जीडीपी का 20 प्रतिशत है। भारत की ब्लैकमनी थाईलैंड की जीडीपी से ज्यादा है। भारत में ब्लैकमनी फिजिकल फार्म यानी जमीन और स्वर्ण के रूप में हैं।

स्विस बैंकों में रखे भारतीयों के पैसे में कमी आ रही है। स्विस नेशनल बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंकों में रखे विदेशियों के धन में भारतीयों का प्रतिशत केवल दशमलव 04 प्रतिशत है। 2015 में भारत 78वें स्थान पर था, जबकि उससे पहले वाले वर्ष में 61 स्थान पर था।

11–12 मई 2016 को लन्दन में ग्लोबल एंटीकरप्सन शिखर सम्मेलन हुआ था। वहां भारत ने इस बात पर बल दिया था कि संयुक्त राष्ट्र को कालाधन समाप्त करने के बारे में

देशों के बीच सहयोग का आग्रह किया जाना चाहिये और विश्व बैंक को अपने यहां छिपे कालेधन के बारे में जानकारी संबंधित देश से साझा करनी चाहिए। इसी क्रम में भारत में एक जून 2016 से चार माह के लिए 45 प्रतिशत टैक्स देकर कालाधन को उजागर करने की योजना शुरू की थी।

भारत और मारीशस के बीच हुए समझौतों के अनुसार एक अप्रैल 2017 से मारीशस के जरिये धन भारत भेजने वाली कम्पनियों को 24 महीने के बदलाव वाले समय में लागू दर का आधा लघु अवधि का पूंजीगत लाभ कर जमा करना होगा। ऐसे सौदों पर पूंजीगत लाभ कर की दर जो फिलहाल 15 प्रतिशत है। एक अप्रैल 2019 से लागू होगी।

कालाधन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति अरिजित पसायत ने ईडी के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कालाधन का स्रोत भारत में हैं। अगर हम उस पर रोक लगा सके तो विदेश में काला धन नहीं जायेगा। उन्होंने बताया कि 97 हजार व्यक्ति 20 से अधिक कम्पनियों के निदेशक है। जबकि दो हजार लोग एक हजार से अधिक फर्मो के निदेशक है। उन्होंने कहा कि यह कम्पनी कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है।

वैसे 2012 के स्वीटजरलैंड सरकार की रिपोर्ट के अनुसार उसके बैंकों में भारतीयों का जमा धन 02 अरब डॉलर था। तात्पर्य यह है कि कालाधन के आकार के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, परन्तु हम सभी अनुभव करते है कि कालाधन काफी मात्रा में है और इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

<><><><><><>

चुनाव और कालाधन

मार्च 2017 में उ0प्र0 विधानसभा आम चुनाव कराये गये। चुनावों में कितना कालाधन खर्च किया जाता है इस संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है और कभी उपलब्ध भी नहीं होगा। परन्तु इतना तय है कि धन के बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिये जो अधिकतम राशि निर्धारित की है वह ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। अब स्थिति यह है कि विधायक के चुनाव में कई करोड़ रूपये खर्च किये जाते हैं। इतना ही नहीं अब तो ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख और सदस्यों के चुनाव में भी काफी पैसा खर्च किया जाता है। हमारे एक मित्र बता रहे थे कि उनके गांव के विजयी प्रधान ने अपने चुनाव में लगभग डेढ़ करोड़ रूपये खर्च किया था। चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि केवल कालाधन ही होता है। यह सभी जानते हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले ओर बाद में कराये गये सीएमएस के सर्वेक्षण के मुताबिक प्रदेश में डाले गये प्रत्येक वोट की कीमत 750/– रूपये रही, जो देश में सबसे ज्यादा है। चुनाव के दौरान राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों ने 5500 करोड़ रूपये से ज्यादा की धनराशि खर्च की। इसमें 1000 करोड़ रूपये सिर्फ 'नोट क बदले वोट' के लिये खर्च किये गये। सर्वेक्षण के दौरान एक तिहाई मतदाताओं ने माना कि उन्हें नकदी या शराब का प्रलोभन दिया गया। सर्वेक्षण के लिये चुने गये मतदाताओं में से 55 प्रतिशत ने माना कि वे व्यक्तिगत रूप से ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने वोट डालने के लिए पैसे लिये थे। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जहां कांटे का मुकाबला था, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये प्रति मतदाता 500/– से 2000/– तक खर्च किये गये। सर्वेक्षण के ुताबिक चुनाव प्रचार में प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक सामग्री पर 500 से 700 करोड़ रूपये खर्च किये गये।

चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा 28 लाख रूपये निर्धारित की है, जबकि एक निजी चैनल द्वारा किये स्टिंग के अनुसार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों ने स्वीकार किया कि उन्होंने चार से पांच करोड़ रूपये खर्च करने का अनुमान लगाया है। उम्मीदवारों ने स्वीकार किया कि वे वोट खरीदते हैं। (एनबीटी– 25.02.2017)

<><><><><><>

एनजीओ और कालाधन

एनजीओ अर्थात गैर सरकारी संस्थाओं और कालाधन का शरीर और प्राण का संबंध है। कालेधन के बिना एनजीओ चल ही नहीं सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एनजीओ होंगे, जो किसी से आर्थिक सहायता नहीं लेते हैं। परन्तु वे वैसे ही चलते हैं जैसे भारत के गांव का किसान चलता है। किसानों की चर्चा होते ही जो उनकी छवि आती है, उसे एक कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया– देह और पीठ सटकर एक। अब मरा कि तब। यह किसान की छवि है। परन्तु अधिकांश एनजीओ की छवि ऐसी नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देनापड़ा है। एनजीओ को दिये जाने वाले फंड में घपले का आरोप लगाने वाली एक वकील एमएल शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि इस याचिका के दाखिल होने के छह माह बाद भी सरकार ने एनजीओ को नियमित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 31 मार्च तक सभी एनजीओ का आडिट करके रिपोर्ट कोर्ट में सरकार प्रस्तुत करे। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार को एनजीओ को नियमित करने, उन्हें मान्यता देने और उनकी फंडिंग के बारे में दिशा निर्देश तय करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एनजीओ को दिया जाने वाला धन जनता का पैसा है अतः उसका हिसाब किताब रखा जाना चाहिए। यह बात अलग है कि देश में बहुत सारे एनजीओ है जो सरकार से आर्थिक सहायता नहीं लेते है। वे विदेशी एजेंसियों से पैसा लेते हैं। परन्तु इस प्रकार के एनजीओ भी कालाधन बनाते है। जिसका देश की अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 32 लाख 97 हजार एनजीओ ने इनमेंसे केवल 3 लाख सात हजार एनजीओ ने अपने खर्च का लेखा जोखा दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि देश में चार सौ लोगों पर एक एनजीओ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पांच लाख 48 हजार एनजीओ है, जबकि महाराष्ट्र में 5 लाख 18 हजार एनजीओ है। सरकार ने एनजीओ के पंजीकरण की प्रणाली भी बदलने का निर्णय लिया है। अभी एनजीओ को सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया जाता है।

केन्द्र सरकार ने विदेशी डोनेशन देने वाली 3 हजार 768 एनजीओ को नोटिस भेजा है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 3 सालों में विदेश से प्राप्त फंड में धांधली करने वाले 10

हजार से ज्यादा एनजीओ का रजिस्ट्रेन रद्द किया जा चुका है। वहीं 14 हजार एनजीओ को बार–बार कहने पर भी आडिट नहीं कराने पर नोटिस दिया गया है।

एनजीओ की जड़े इतनी गहरी है कि अनुमान लगाना मुश्किल है। भारत सरकार ने जब विदेशी फंड वाले एनजीओ के नियमन के लिए कानून बनाया तो इसे वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग के विशेषज्ञों ने दबाव डाला। हुआ यह है कि सरकार ने तीस्ता सितलवाड के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट के खातों को गड़बड़ी के आरोप में सीज कर दिया है। सबरंग ट्रस्ट को फोर्ड फाउंडेंशन ट्रस्ट से पैसा मिलता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी प्रकार वकीलों के एक अन्य एनजीओ के खिलाफ भी सरकार ने कार्रवाई की है। यह मामला भी अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर उछाला गया है। मजेदार बात यह है कि इस संबंध में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह आरोप लगाया कि उनके वरिष्ठ अधिकारी ने फोर्ड फाउंडेंशन और कुछ अन्य एनजीओ को क्लीन चिट देने का निर्देश दिया। परन्तु कनिष्ठ अधिकारी ने क्लीनचिट देने से मना कर दिया तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया। (अधिकारी का नाम आनन्द जोशी– टाइम्स ऑफ इंडिया– 6 जुलाई– 2017)

अवैध ढंग से पैसा कमाने के लिए आजकल एनजीओ से बेहतर और कोई सम्मानित माध्यम नहीं है। एक उदाहरण देखिये– लखनऊ में अखिलेश सरकार ने एक एनजीओ को गोशाला संचालित करने के लिए सरकारी बजट में आवंटित निधि का 80 प्रतिशत दे दिया। यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने आरटीआई के जरिये हासिल की। उत्तर प्रदेश गऊ सेवा आयोग ने 2012 से लेकर 5 वर्षो के दौरान कुल 9 करोड़ 66 लाख रूपये का अनुदान दिया। उसमें से 8 करोड़ 35 लाख रूपये केवल एक एनजीओ को दिये गये। एनजीओ का धंध इतना लाभदायक और सम्मानजनक है कि अधिकांश प्रभावशाली लोग एनजीओ चलाते हैं।

इनमें सेवानिवृत्त, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, विधायक, सांसद, पत्रकार, शिक्षाशास्त्री और अन्य लोग शामिल है। सबसे अधिक कालाधन इसी क्षेत्र में खपाया जाता हैं और यही से सबसे अधिक कालाधन पैदा किया जाता है। एनजीओ हिसाब किताब नहीं रखते हैं। अतः उन्हें देश या विदेश से मिली धनराशि में से कितनी धनराशि का सदुपयोग किया गया पता लगाना मुश्किल है।

एनजीओ की तरह धार्मिक ट्रस्ट और समाज सेवा के नाम पर गठित कई संगठन कालाधन को सफेद बनाने के कारोबार में लगे हुए हैं। 12 जुलाई 2017 को एडवोकेट एमएल

शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार की ओर से बताया गया कि एनजीओ के बारे में जल्द ही उन्हें नियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किये जा सकते हैं। आजकल धार्मिक संस्थाओं द्वारा अक्सर महात्माओं और बाबाओं के प्रवंचन आयोजित किये जाते हैं। जिनमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि लोगों में धार्मिकता बढ़ गई है। परन्तु वास्तविकता यह है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से कालाधन को सफेद बनाने का धंधा किया जाता है।

<><><><><><>

(31)

नकली नोट

देश में कितना कालाधन है यह ठीक से किसी को पता नहीं है। रिजर्व बैंक को भी यह पता नहीं कि कालाधन कितना है। क्योंकि रिजर्व बैंक ने जितने मूल्य के नोट जारी किये है, उससे अधिक मूल्य के नकली नोट चलन में है। नकली नोट बनाने वाले पंजीकृत नहीं है, उनका व्यवसाय उनके हिसाब से चलता है, फिर पाकिस्तान के नोट कारखानों में भारतीय नोट छापे जाते हैं, जो पूरी तरह हमारी अर्थ व्यवस्था की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। नोटबंदी के कारण नकली नोटों पर लगाम लग गई, किन्तु नये नकली नोट फिर से बनने शुरू हो गये।

आर्थिक खुफिया एजेंसियों को सक्रिय और सजग बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही नकली नोट का कारोबार करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। 8 नम्बर 2016 की रात से बड़ी संख्या में नकली नोट भी बैंकों में जमा किये गये। हालांकि रिजर्व बैंक और अन्य बैंक इसको स्वीकार नहीं करेंगे। परन्तु उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि रिजर्व बैंक ने जितने नोट मार्केट में जारी किये थे, उससे अधिक नोट कहां से और कैसे बैंकों में जमा किये गये।

पुराने नोटों को जमा करने की अन्तिम तारीख 30 दिसम्बर 2016 निश्चित की गई । परन्तु कुछ शर्तो के साथ पुराने नोट 30 जून 2017 तक जमा किये जा सकते थे। रिजर्व बैंक केवल प्रवासी भारतीयों के पुराने नोट जमा कर रहा है, जो प्रवासी भारती 8 नवम्बर से 30 दिसम्बर तक देश से बाहर थे। इस बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जिन लोगों ने समुचित कारण होने के फलस्वरूप पुराने नोट जमा नहीं किये, उन्हें एक मौका और क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार ने इस संबंध में अपने हलफनामे में कहा है कि पुराने नोट जमा करने के लिए अब कोई मौका नहीं दिया जा सकता। बहरहाल इस संबंध में अन्तिम फैसला कोर्ट में ही होगा।

बाबा रामदेव ने कालाधन का हिसाब लगाया था। वे बार–बार कहते थे कि विदेश में जितना कालाधन है, अगर वह भारत आ जाये तो प्रत्येक भारतीय के खाते में पन्द्रह–पन्द्रह लाख रूपये जायेंगे।

(32)

उन्हीं के प्रभाव में आकर मोदी जी ने भी कई बार लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो प्रत्येक भारतीय के खाते में 15–15 लाख रूपये दिये जायेंगे। इस हिसाब से तो देश की उस समयजनसंख्या 125 करोड थी, अगर प्रत्येक के खाते में 15 लाख रूपये आयेंगे तो 125 करोड गुणा 15 लाख बराबर–125,0000000 । इस प्रकार देश और विदेश में भारतीयों के खाते में उस समय 1875 खरब काला धन होना चाहिये था।

यह राशि अमेरिका की 18750000 00000000 पूंजी से भी ज्यादा है।

बाब रामदेव का आकलन गलत है। परन्तु इतना तय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का 70 प्रतिशत से अधिक कालाधन है। नोटबंदी से न तो कालाधन पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही आर्थिक प्रगति कम होगी। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि कालाधन का अधिकांश भाग रियल इस्टेट, जमीन, स्वर्ण, जवाहरात आदि के रूप में अभी भी मौजूद है। बैंकों से पहले की तरह धन मिलना शुरू हो गया है। अतः आर्थिक गतिविधियां फिर पहले की तरह चलने लगी हैं।

मंदी आती जाती रहती है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि राजनैतिक दल चुनाव में कितना पैसा खर्च कर पाते है और पैसे की कमी के कारण अगरकिसी पार्टी के चुनाव प्रचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो यह मान लेना चाहिए कि नोटबंदी का मोदी जी का लक्ष्य पूरा हो गया है।

मोदी जी ने नोटों की कमी का समाधान डिजिटल कारोबार बताया है। यह हास्यास्पद है। डिजिटल व्यवस्था के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। यह तो वैसे ही है जैसे आग लगने पर कुंआ खोदने की सलाह दी जाये।

सुल्तानपुर जिले में एक तीर्थस्थान है। गोमती नदी के किनारे स्थित इस स्थान का नाम है– 'धो पाप'। इसके बारे में एक किंवदन्ती है। भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहां स्नान ध्यान और पूजा अर्चना की थी। इस स्थान का पता उनके गुरू ने इस प्रकार दिया था।

उन्होंने कहा था कि गोमती नदी में होते हुए श्रीराम को उत्तर पश्चिम की ओर जाना चाहिए और जहां गोमती नदी में नहाने से कौए का रंग सफेद हो जाये वही धो–पाप होगा। वर्तमान में नोटबंदी के धो–पाप में देश विदेश में विद्यमान नगदी कालाधन सफेद हो रहा है। नोटबंदी इसीलिए युगों तक याद की जायेगी।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार बाजार में चल रहे प्रत्येक दस लाख रूपये में दो सौ पचास नोट नकली होते हैं और इस प्रकार के 4 सौ करोड़ रूपये जाली नोट चलन में हैं। यह जाली नोट ज्यादातर पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई द्वारा भारत में भेजे जाते हैं। अध्ययन में बताया गया है कि यूरोप, मेक्सिको और कनाडा की तुलना में भारत में ज्यादा नकली नोट चलन में है। जाली नोटों में एक हजार नोट की संख्या 50 प्रतिशत है। जाली मुद्रा के कारोबारी बिहार–नेपाल सीमा पर अधिक सक्रिय है।

नकली नोट बैंकों में भी चल जाते है। बिहार के नालंदा जिले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 2 हजार के नकली नोट मिले। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रीटी जीएफआई द्वारा 3 मई 2017 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में देश से इक्कीस बिलियन डॉलर का कालाधन विदेश भेजा गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही इसी अवधि में एक सौ एक बिलियन डॉलर कालाधन देश में आया जो पिछले वर्ष के मुकाबले 11 प्रतिशत ज्यादा है।

(टाइम्स आफ इंडिया 3 मई 2017)

केन्द्र सरकार ने बताया है कि नोटबंदी लागू होने के बाद 29 राज्यों में विभिन्न एजेंसियों ने 11 करोड़ 23 लाख रूपये के नकली नोट बरामद किये। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि रिजर्व बैंक ने एक मोबाइल ऐप लांच किया है, जिसके जरिये उपभोक्ता पांच सौ और दो हजार रूपयों के नोटों के फीचर्स के अलावा यह भी जान सकेंगे कि कौन से नोट असली है। यह ऐप गूगल पर और आई.फोन के ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के आंकड़ों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि नोटबंदी के बाद से इस साल 14 जुलाई तक एक करोड़ 57 लाख 797 नकली नोट पकड़े गये। इनका मूल्य 11 करोड़ 23 लाख रूपये बैठता है।

राज्यसभा में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि एक वित्त वर्ष में 36 लाख से अधिक बैंक खातों में लोगों ने 10 लाख रूपये से ज्यादा की नकदी जमा की। हालांकि इन्होंने यह नहीं बताया कि यह आंकड़ा किस वित्त वर्ष का है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि लगातार दो वित्त वर्षो तक फानेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करने वाली एक करोड़ 62 लाख कम्पनियों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है।

रिजर्व बैंक ने 20 जनवरी 2017 को बताया कि देश में 13 जनवरी तक 9 हजार एक सौ अरब रूपये चलन में हैं। जबकि भारतीयों ने 600 अरब रूपये की निकासी की। रिजर्व बैंक ने संसदीय समिति को बताया कि इस गुत्थी का समाधान पहेली बन गया है।

लखनऊ के अलीगंज में एक दम्पत्ति को गिरफ्तार किया गया, जो नकली नोट छापने का कारोबार कर रहा था। गिरफ्तार व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 10 लाख रूपये का नकली नोट छापने का ठेका लिया है।

(जागरण– 6 जनवरी– 2017)

उनके पास से पुलिस ने नकली नोट भी बरामद किये है। इसी प्रकार लखनऊ के ही विकास नगर से 79 हजार के नये नकली नोटों के साथ दो बहनों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर देहात जिले की भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के मीरपुर पुखराया में पुलिस ने जाली नोट छापने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 हजार रूपये के पुराने नकली नोट बरामद किये।

(जागरण– 5 जनवरी– 2017)

विमुद्रीकरण या नोटबंदी के बाद हवाला करोबार लगभग पचास पतिशत घट गया है। केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चूंकि हवाला करोबार में अग्रिम भुगतान ज्यादातर 500 और 1000 के नोटों में किया जाता था, जो नोटबंदी के बाद अवेध हो गये है। इससे हवाला करोबार को धक्का लगा है।

आतंकियों की आर्थिक मदद नकली नोटों में की जाती है। इन नकली नोटों की छपाई पाकिस्तान में कराची और क्वेटा के सरकारी नोट सिक्यूरीट प्रेस में होती है। इसका प्रभाव कश्मीर के आतंकियों पर पड़ा। नोटबंदी के बाद कश्मीर में पत्थर मारने की घटनायें लगभग बन्द हो गई तथा कोई भी आतंकी घटनायें नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ा है। अब माओवादियों को हथियार आदि खरीदने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं।

विमुद्रीकरण के बाद माओवादी लड़ाके से भारी मात्रा में 500 से 1000 के पुराने नोट बरामद किये गये।

नकली नोट छापने का काम पाकिस्तान में ही नहीं देश में भी धडल्ले से हो रहा है।

लोकसभा चुनाव 2014 के पहले बाबा रामदेव ने दावा किया था कि देश और विदेश में भारतीयों का इतना कालाधन है कि अगर उसका पता लगाकर भारत लाया जाये तो प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रूपये आ सकते है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बाबा रामदेव के दावे को दबी जुबान से ही सही, परन्तु सही बताया था। कहते है कि मतदाताओं ने भी नरेन्द्र मोदी पर विश्वास करके इन्हें मत दिया और उम्मीद की थी कि मोदी सरकार आने पर कालाधन का पता लगेगा और प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रूपये आयेंगे। मैं समझता हूँ यह दावा और आश्वासन इस शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ था। क्योंकि वास्तव में कालाधन पता लगाना असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। दूसरी बात यह है कि अगर कालेधन का पता लगा भी लिया जाये तो वह सरकार के खाते में जायेगा। लोगों के खाते में 15 लाख रूपये तो कभी नहीं आयेंगे। जो भी हो मोदी सरकार ने कालाधन या अघोषित आय वाले व्यक्तियों को अपनी आय घोषित करने का एक अवसर देने की योजना आईडीएस गत 01 जून को शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत टैक्स और दण्ड देकर अघोषित आय घोषित की जा सकती थी। इसमें सरकार ने यह सहूलियत दी थी कि योजना के अन्तर्गत घोषित आय के बारे में आय कर अधिकारी कभी पूछ–ताछ नहीं करेंगे। 30 सितम्बर को योजना की अवधि समाप्त हो गई। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत कुल 64275 लोगों ने अपनी अघोषित आय का ब्यौरा दिया। इससे 65250 करोड़ अघोषित आय उजागर हुई। इससे टैक्स और जुर्माने के रूप में लगभग 30000 करोड़ रूपये सरकार के खजाने में आए। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में 140741 करोड़ रूपये घरेलू और विदेशी कालाधन तथा अघोषित आय का पता लगाया है। जेटली ने कहा कि यह शुरूआती आंकड़े हैं और यह बाद में बदल भी सकते हैं। जो भी हो कालाधन की यह धनराशि बाबा रामदेव और प्रधानमंत्री द्वारा प्रचारित कालेधन की राशि का एक प्रतिशत भी नहीं है।

यह तो वैसे ही है जैसे खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। हाँ यह जरूर कहा जा सकता है कि लोगों ने पूरे कालेधन का ब्यौरा अभी नहीं दिया है।

परन्तु मूल प्रश्न यह है कि देश और विदेश में कितना कालाधन है इसके बारे में पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पायी है। बाबा रामदेव का दावा तो सही नहीं लगता है कालेधन के बारे में रिवर्ज बैंक और नीति आयोग के पास भी अब तक पुख्ता जानकारी नहीं है।

◆

(37)

सरकारें है कालाधन का प्रमुख स्रोत

कालाधन हवा की तरह है। यह दिखाई नहीं देता है परन्तु हम इसका अनुभव करते है। कभी–कभी जब आंधी आती है तो पेड़ पत्ते हिलने लगते हैं और हवा का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार कालेधन को लेकर जब कोई बड़ी घटना होती है तो हमें छापे के बाद कालाधन दिखाई देने लगता है। देखने में कालाधन और सफेद धन में कोई अन्तर नहीं होता है। छापे में जो नोट या सोने की ईट पकड़ी जाती है वह भी वैसे ही होती है, जैसे ही सफेद धन की नोट या ईट।

यह एक निर्वाविवाद सत्य है कि सरकारी ठेकों से कमीशन की लेन–देन होती है। इसी आधार पर कुछ विभाग मलाईदार समझे जाते है और कुछ सूखे विभाग होते है। कमीशन की जो वर्तमान दर है वह 20 से 50 प्रतिशत तक है। उदाहरण के तौर र अगर किसी सरकार का सालाना बजट 200 लाख करोड़ रूपये का है तो उसमें से कर्मचारियों की तनख्वाह आदि निकाल देने पर जिस पर कोई कमीशन नहीं मिलता है डेढ़ सौ लाख करोड़ रूपये की राशि निर्माण कार्यो और सरकारी खरीद पर खर्च होती है। सबको पता है कि इसमें से 70 हजार करोड़ रूपये की राशि कमीशन में जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि इतनी राशि कालाधन में बदल जाती है। इस उदाहरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि देश में सरकारी बजट से प्रतिवर्ष कितना कालाधन सृजित होता है। सरकारी आई0डी0एस0 के आंकड़ों की तुलना से कहा जा रहा है कि गत 20 वर्षो में देश में कालाधन करीब 20 गुना बढ़ गया है। परन्तु यह बात भी गलत लगती है। सरकारी बजटों की तुलना करें तो प्रतिवर्ष सृजित होने वाले वाला कालाधन कई गुना हो जाएगा। आई0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत जिन लोगों ने आय की घोषणा की है उनमें से अधिकांश व्यापारी है, जबकि हम जानते हैं कि कालाधन का और स्रोत क्या है। चुनावों में कितना पैसा खर्च होता है वह क्या सफेद धन है। रियल इस्टेट का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है।

(38)

यह क्या केवल सफेद धन के कारण है। वकीलों, डॉक्टरों और ऐसे ही अन्य लोग कितनी आय घोषित करते है, सभी जानते है। इधर धार्मिक बाबाओं का व्यवसाय भी खूब चमक रहा है।

इसका कारण यह नहीं है कि लोग धार्मिक होते जा रहे है। इसका एक कारण यह है कि धार्मिक व्यवसाय में कालाधन को सफेद करने का आसान और सम्मानजनक अवसर मिलता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने में कितना घूस लिया जाता है यह क्या सफेद धन है। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार कितना है, इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आए दिन वरिष्ठ अधिकारी यहां तक की न्यायाधीश भी घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। इन सबकी आमदनी कालाधन ही तो हैं।

1997 की स्वैच्छिक आय घोषणा के अन्तर्गत केवल 9760 करोड़ रूपये कालाधन का पता लगा था, जबकि इस बार 65 लाख करोड़ से भी अधिक कालाधन उजागर हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि देश में कालाधन की राशि में काफी वृद्धि हुई है। सरकार ने पिछले वर्ष विदेशी कालाधन घोषित करने की योजना चलायी थी। इसके अन्तर्गत 03 महीने के दौरान केवल 644 लोगों ने 4147 करोड़ काली कमाई का खुलासा किया था। 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो विदेश में भारतीयों की जमा 25 लाख करोड़ की राशि वापस लायेंगे। गनीमत है उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह राशि लोगों में बांट दी जायेगी। उन्होंने किस आधार पर यह आंकड़ा दिया, वही जाने। ऐसा लगता है कि उन्होंने भी बाबा रामदेव की तरह एक काल्पनिक आंकड़ा दिया था। 2011 में सम्प्रग सरकार ने कालाधन पर स्वेत पत्र जारी किया था। बाद में 03 एजेंसियों– **NCEAR, NIPFP** और **, NIFM** को कालाधन का आकलन करने और इसे रोकने का उपाय सुझाने के लिए कहा गया। इनकी रिपोर्ट में भी देश में छिपे कालेधन के बारे में ठोस जानकारी नहीं दी गई।

वार्षिक बजट सरकार या किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति का दपर्ण होते है। जितनी अधिक धनराशि का बजट होता है उसे उतना ही अच्छा माना जाता है। जिस बजट में प्रशासनिक खर्च कम होता है, उसे विकासोन्मुख बजट कहा जाता है।

परन्तु जिस बजट में विकास कार्यो के लिए जितनी अधिक राशि का प्रावधान होता है, उससे उसी अनुपात में कालाधन बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए किसी सबूत की

आवश्यकता नहीं है। यह सर्वविदित है, जो अर्थशास्त्री इस तथ्य से आंखे चुराते हैं, वे भारी गलती करते हैं। तथ्यों से मुँह मोड़ कर सही बजट नहीं बनाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017—18 के लिए तीन लाख 84 हजार करोड़ रूपये से अधिक का बजट बनाया गया है। इस बजट में से 33 हजार करोड़ रूपये सरकार को ब्याज देना होगा। इसके साथ ही 27 हजार करोड़ रूपये पिछले वित्तीय वर्ष के ब्याज के लिए खर्च होगा। बजट देखने से लगता है कि आधी से अधिक धनराशि कर्मचारियों को वेतन, पेंशन और ब्याज देने पर खर्च होगा। इस प्रकार शेष लगभग एक लाख 90 हजार करोड़ रूपये विकास तथा अन्य निर्माण कार्यो पर खर्च होंगे। इस सरकार में पारदर्शिता अधिक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों का विशेष बल भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर है। इसके बावजूद विकास और निर्माण कार्यो में दस से 40 प्रतिशत कमीशन का लेन—देन होगा। इसे किसी प्रकार समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य के इस बजट से औसतन 25 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 45 हजार करोड़ रूपये का कालाधन जनरेट होगा, क्योंकि इतनी ही धनराशि कमीशन के रूप में वितरित होगी। प्रदेश में विकास और निर्माण कार्यो से कितना कालाधन बनता है इसका एक ही उदाहरण पर्याप्त है। सपा सरकार के दौरान बनाई गई लखनऊ—नई दिल्ली सड़क के निर्माण में 7 सौ करोड़ रूपये का घोटाला होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी प्रकार लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट में भारी घोटाले को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया गया है। इससे इतना कालाधन निर्मित हुआ कि इसका अंदाज लगाना कठिन है।

केन्द्र सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में कई परिवर्तन किये है। अब केन्द्रीय बजट वर्ष एक फरवरी से शुरू होगा। अलग से रेल बजट नहीं होगा रेल बजट भी आम बजट का हिस्सा है। बजट में एक और बड़ा परिवर्तन यह किया गया है कि इसमें प्लान और नान प्लान का भेद हटा दिया गया है। पहले प्लान बजट में विकास और निर्माण संबंधी योजनाओं का उल्लेख होता था। यही वह क्षेत्र है जहां सबसे अधिक कालाधन जनरेट होता है।

अब यह अनुमान लगाना संभव नहीं कि केन्द्र सरकार के इस वर्ष के बजट से कितना कालाधन बनेगा। वर्ष 2017 के केन्द्रीय बजट में 12 लाख 6 हजार 84 करोड़ की आमदनी दिखाई गई है। जबकि खर्च 15 लाख 47 हजार 673 करोड़ का खर्च दिखाया गया है। अगर 50 प्रतिशत धनराशि विकासकार्यो पर खर्च होगी और उस पर 25 प्रतिशत का कमीशन दिया जायेगा तो इस प्रकार लगभग पौने दो लाख करोड़ रूपये का कालाधन जनरेट होगा। बजट

में कालाधन को समाप्त करने और उसका पता लगाने के लिए भी किसी ठोस उपाय की घोषणा नहीं की गई है।

<><><><><><>

जीएसटी–आधीरात की आर्थिक आजादी

बाहर आर्द्रा नक्षत्र के निरभ्र आकाश में तारे जगमगा रहे थे, वहीं रायसीना हिल्स की उपत्यका में स्थित संसद के ऐतिहासिक केन्द्रीय हाल में अभूतपूर्व उत्साह, चहल पहल और उत्सुकता का माहौल था। जिस प्रकार 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब दुनिया के देश सो रहे थे, भारत योग निशा की अर्धरात्रि को घड़ी की सुईयों के एक साथ बारह या चौबीस पर पहुंचते ही सैकड़ों वर्ष की दासता की बेड़ियों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र और सार्वभौम देश के रूप में अवतरित हो गया। ठीक उसी तरह 30 जून 2017 को आधी रात को लागू माल एवं सेवा कर कानून–जीएसटी की लहर पर बैठ कर पूरा देश अच्छे दिनों की आस में स्वर्ण मंजूषा की तलाश में जीएसटी के गह्वर में लुढ़क गया। देश के लोगों के सामने कोई और विकल्प भी नहीं था। देश के नीति नियामक और अन्य लोगों ने लगभग सर्वसम्मति से कई वर्ष के विचारविमर्श के बाद जीएसटी कानून बनाया है, जो तीस जून की आधी रात अर्थात एक जुलाई से लागू हो गया है।

जीएसटी कानून को मूर्तरूप लेने में लगभग सत्रह वर्षो का समय लग गया। सर्वप्रथम वर्ष दो हजार में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने जीएसटी की अवधारणा को संसद में पेश किया था। तत्पश्चात दो हजार छह में पहली बार केन्द्रीय बजट में जीएसटी का उल्लेख किया गया। वर्ष दो हजार नौ में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने जीएसटी का ढांचा केन्द्रीय बजट में घोषित किया। वर्ष दो हजार तेरह में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी का विरोध किया था, परन्तु उन्हीं के प्रधानमंत्री रहते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने एक अप्रैल दो हजार पन्द्रह को जीएसटी लागू करने की बात कही। 30 जून 2017 की आधी रात को जीएसटी कानून लागू भी हो गया। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी लागू होने से 80 लाख करदाता नई व्यवस्था से जुड़ेंगे।

अब तक 66 लाख करदाता इससे जुड़ चुके हैं। इस कानून को लागू करने के लिए 64 हजार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। (एनबीटी 01 जुलाई 2017) 30 जून 2017 से पहले भी संसद भवन में भव्य आयोजन हो चुके हैं। सर्वप्रथम 14 हजार 1947 में आधी रात में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने भारत की आजादी मिलने पर 'ट्रायस्ट विद डेस्टीनी' नाम से विख्यात ऐतिहासिक भाषण दियाथा। बाद में 14 अगस्त 1972 के आजादी के 25 वर्ष पूरा होने पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। उस समय वीवीगिरी राष्ट्रपति थे और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। 14 अगस्त 1997 को आजादी की 50वीं सालगिरह पर संसद का मध्य रात्रिकालीन सत्र बुलाया गया था। उस समय के.आर. नारायणनन राष्ट्रपति थे और इन्द्रकुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि 30 जून 2017 को संसद के केन्द्रीय हाल में आयोजित विशेष समारोह में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद नहीं थे। उन्होंने इस समारोह का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने कहा कि इससे पहले भी देश ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, परन्तु आधी रात को संसद सत्र नहीं बुलाया गया। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जीएसटी को आधे अधूरे ढंग से लागू करके खुद का प्रचार करने के लिए अधिवेशन बुलाया गया है। परन्तु राकपा अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जदयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समारोह में मौजूद थे।

बदलते भारत की दिशा में जीएसटी एक सशक्त कदम है। कुछ क्षेत्रों में आशंकाओं के बावजूद उत्साह इतना हावी रहा कि मध्य रात्रि में जग कर लोगों ने सबेरे का इंतजार किया। वह नया सबेरा आ चुका है। आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार जीएसटी के रूप में लागू हो गया है। 30 जून 2017 की आधी रात को ठीक 12 बजे राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक साथ बटन दबा कर जीएसटी लांच किया। अब तक के इस सबसे बड़े कर सुधार को सरकार ने गुड एण्ड सिम्पल यानी 'अच्छा और सरल' कर नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संविधानसभा की पहली सभा का यह संभाग कक्ष साक्षी है। इसमें नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पहली कतार में बैठे थे। आज से देश एक नई व्यवस्था की ओर चल पड़ा है।

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा कि मुझे जीएसटी के एक दिन लागू होने की पूरी उम्मीद थी और आज इसे लागू देखकर मुझे संतोष भी रहा है। इस तरह इस कानून से अब देश आर्थिक तौर पर एक सूत्र में बंध गया है। उन्होंने कहा कि दशकों से चल रहे 14 अलग–अलग करों की उलझने खत्म हो चुकी है।

जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स न देने वाले बच नहीं पायेंगे। जीएसटी के अन्तर्गत व्यापारियों एवं कारोबारियों को हर महीने अपनी खरीद बिक्री के बिल जीएसटी के पोर्टल पर दाखिल करना होगा। इसके लिए पंजीकरण आवश्यक है।

केन्द्रीय राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि इस कर प्रणाली का पहला लाभ यह है कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा एक ही वस्तु पर लगाये जाने वाले विभिन्न कर और उपकर समाप्त हो जायेंगे। इसके स्थान पर एक ही कर होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी के दो अंग होंगे। जीएसटी से मिला राजस्व का एक हिस्सा राज्य सरकार के पास जायेगा जबकि दूसरा हिस्सा केन्द्र सरकार के पास जायेगा। उन्होंने कहाि क यह कर केवल उन्हीं कारोबारियों पर लगेगा जिनका सालाना कारोबार लगभग 20 लाख रूपये का होगा। ऐसे व्यापारी जिनका कुल कारोबार 75 लाख रूपये प्रति वर्ष होगा, उन्हें कारोबार पर एक प्रतिशत कर का भुगतानकरना होगा।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वामदल के नेता भी जीएसटी समारोह में उपस्थित नहीं थे परन्तु पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता समारोह में मौजूद थे। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने श्रीदासगुप्ता के योगदान की सराहना भी की। असीम दासगुप्ता राज्यों के वित्त मंत्रियों के पैनल के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके बगल में विजय केलकर बैठे थे, जिन्होंने 2003 में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी।

जीएसटी की भूमिका 1986 से बनने लगी थी, जब तत्कालीन वित्त मंत्री विश्वनाथप्रताप सिंह ने मडवाट का प्रस्ताव किया था। इसके बाद 1991–96 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने सेवा कर लागू किया था। 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी.चिदम्बरम ने अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव किया था।

मार्च 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक रखा था। वर्ष 2014 में दिसम्बर में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संशोधित संविधान संशोधन विधेयक रखा, जो अप्रैल 2016 में संसद से पारित कर दिया गया।

जीएसटी लागू होने के बाद कच्चे और पक्के बिल लेने–देने का खेल समाप्त हो गया है। स्टाक मार्केट ने भी जीएसटी कानून का स्वागत किया है, अच्छी बात है। परन्तु अभी मूसीबते और भी है। 20 लाख तक के कारोबार पर जीएसटी लागू नहीं होगा तो इस वर्ग के लोगों परकौन सा कानून लागू होगा। जीएसटी सामान्य कानून नहीं है। यह एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम है। जीएसटी लागू होने के बाद कारोबार में शुचिता और पारदर्शिता आयेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। कालाधन के दिन लद जायेंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कालाधन समाप्त करने की दिशा में जीएसटी लागू करके एक बड़ा निर्णय लिया है।

जीएसटी लागू होने के अगले दिन चार्टेट एकाउंटेट ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया गया। इसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने एक लाख से अधिक कम्पनियों का पंजीकरण समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 लाख से अधिक ऐसी कम्पनियों का पता लगाया है जिन्होंने नोटबंदी के बाद कालाधन को सफेद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 37 हजार मुखौटा कम्पनियों की पहचान भी कर ली है जो कालेधन को छिपाने और हवाला के जरिये पैसा इधर से उधर करने का काम करती थी। प्रधानमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि चार्टेट एकाउंटेंट को 'बही को सही' करने वाला नहीं बनना चाहिए। उन्हें लोगों की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। आमतौर पर यह धारणाप्रचलित है कि चाटर्ड एकांउटेंट और नोटरी से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र औरशपथ पत्र प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद चाटर्ड एकाउंटेंट के काम करने का ढंग भी बदलेगा। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक एकीकरण की राह पर चल पड़ा है। वर्ष 2017 में एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार की अवधारण मूर्तरूप ले रही है। इस बीच सी.ए. एसोसिऐशन 72 संदिग्ध सी.ए. के खिलाफ कारगर करने का निर्णय लिया है।

जीएसटी को लेकर तरह–तरह की बाते की जा रही है। यह पहले लागू वैट की तरह है। इसमें कोई नई बात नहीं है। मैनुफक्चरर द्वारा पहले दिये जा चुके वैट का इनपुट

होलसेलर और ट्रेडर सहित पूरी चेन को वैट में भी मिलता है। अन्तर यह है कि वैट राज्यों द्वारा लगाया गया टैक्स था, जिससे अलग–अलग राज्यों में अनेक वस्तुओं पर लगाया टैक्स भिन्न भिन्न था। परन्तु जीएसटी में कुछ अपवादों को छोड़कर देशभर में टैक्स की दर एक होगी। चूंकि टैक्स एक है तो सभी प्रकार के करदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। कपड़ा व्यापारी जीएसटी को लेकर काफी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि जीएसटी के पहले वैट या सेल्स टैक्स उन्हें नहीं देना पड़ता था। अब तक कपड़ा बनाने वाले से साढ़े 12 प्रतिशत एकसाइड ड्यूटी ली जाती थी। परन्तु अब कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी देय होगा। अतः कपडा व्यापारी जीएसटी पंजीकरण, टैक्स का हिसाब किताब और रिर्टन फाइल को लेकर उलझन में है। रियल स्टेट से जुड़े लोग भी उलझन में है। इस क्षेत्र में साढ़े चार प्रतिशत सर्विस टैक्स लागू था जो अब बढ़ कर 12 प्रतिशत हो गया है। वास्तविकता यह है कि अब तक इस क्षेत्र से जुड़े सीमेन्ट, सरिया आदि पर 12 प्रतिशत उत्पादन शुल्क और विभिन्न दरों पर वैट लागू था। अब केवल 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इससे मकानों की कीमते कम होगी। महानगरों में जमीन की कीमतें बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर जीएसटी उपभोक्ताओं, व्यापारियों और सरकार के हित में है। जीएसटी से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। एकाउंटिंग और कम्प्यूटर के क्षेत्र में भारी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत पड़ेगी।

जीएसटी के सन्दर्भ में वरिष्ठ पत्रकार एसडीबरोला की एक रचना प्रस्तुत है–

'बाजार ने बाजार से पूछा हाल चाल बताओ।' बाजार बोला, पहले जीएसटी चुका कर आओ। कोई भी कारोबारी इससे बच नहीं रहा है। शराब को खुली छूट क्यों पच नहीं रहा है। गिफ्ट क्या मिला, कबाड़ क्यों हुआ बेहिसाब, खो गया, खराब हुआ या फेंका, रखों हिसाब, जीएसटी का युग है, जाने कब क्या गुल खिला जायेगा। पढ़ लो अभी गजल, क्या पता कल कर लग जायेगा। नई मुसीबत को गुड एण्ड सिम्पल बताते हैं। रहनुमा कमाल के है हौसला बढ़ा रहे हैं।'

सरकार ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर–जीएसटी का लागू होना पूरे देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि जीएसटी के लागू होने से देश में कर–प्रणाली ज्यादा पारदर्शी हो गई है।

वित्तमंत्री माननीय अरूण जेटली जी विस्तार से जीएसटी के कामयाबी के बारे में बताया। जीएसटी का लांचिंग बहुत ही आसानी से हो चुका है। जीएसटी का अस्सी फीसदी वैल्युऐशन प्रदेशों को होगा और प्रदेशों के जनहित काम के लिए और विकास के लिए होगा। इस जीएसटी कर प्रणाली के कारण आम जनता गरीब आदमी उनके ऊपर जो कर बार था वो कम होगा।

<><><><><>

नोटबंदी अर्थात विमुद्रीकरण

अर्थ व्यवस्था को भ्रष्टाचार और कालाधन से मुक्त करने के लिए बड़े मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। परन्तु नोटबंदी लागू करना आसान कार्य भी नहीं है। इसके लिए साहस और धैर्य के साथ आम जनता का सहयोग और आर्थिक अनुशासन होना आवश्यक है। नोटबंदी लागू करना एक तरह से आर्थिक आपातकाल लागू करने जैसा है। विश्व के कुछ देशों ने अपने यहां नोटबंदी लागू किया था, परन्तु उसका यथेष्ठ परिणाम नहीं निकला। अपने देश में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने भी अर्थ व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए नोटबंदी का सुझाव दिया था। इसका उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कैम्पियरगंज में एक समारोह में नोटबंदी को सही कदम बताया। उन्होंने कहा कि डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार आर्थिक भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराने के लिए हर 10 साल मुद्रा का संचालन बदल देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी लिए देश की अर्थ व्यवस्था को कैशलैस बनाने के लिए बाबा साहब के नाम 'भीम ऐप' नामक नया ऐप शुरू किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में भी एकबार अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए नोटबंदी लागू करने का सुझाव दिया गया था। परन्तु उन्होंने कई कारणों से नोटबंदी लागू करने का फैसला नहीं लिया। भारत की अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और कालाधन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीने नोटबंदी करने का साहसी कदम उठाया। उन्होंने 8 नवम्बर 2016 की रात को एक राष्ट्रीय प्रसारण के माध्यम से देशवासियों को बताया कि 9 नवम्बर 2016 से 5 सौ और 01 हजार रूपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री की इस घोषणा से देशभर में हडकम्प मच गया। जिनके पास यह नोट थे, वे नये नोट प्राप्त करने की कोशिश में 8 नवम्बर की रात से ही सक्रिय हो गये।

प्रधानमंत्री ने 8 नवम्बर 2016 की रात को न केवल देश की जनता, बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं और सरकार में अपने सहयोगी और रिजर्व बैंक को एक सरप्राइज देते हुए अचानक नोटबंदी की घोषणा की। इससे देश ही नहीं दुनिया के अन्य देश भी आश्चर्यचकित हो गये। देश में विपक्ष के किसी नेताने खुलकर नोटबंदी का विरोध नहीं किया, क्योंकि यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ था।

परन्तु कांग्रेस और विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने प्रचार के लिए पर्याप्त तैयारी के बिना नोटबंदी लागू कर दिया है। इससे देश को बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी और हुआ भी ऐसा ही। बहुत दिनों तक लोग नये नोट प्राप्त करने की कोशिश में बैंकों के सामने लाइन लगाकर खड़े नजर आये। कई लोगों के यहां तो शादी और अन्य समारोह को भी रोकना पड़ा। परन्तु अब स्थिति सामान्य हो गई है।

सेन्टर फार मानिटरी यूनियन इकानामी–सीएमआईई ने एक सर्वे के आधार पर कहा है कि नोटबंदी ने लगभग 60 लाख लोगों के मुँह से निवाला छिनने का काम किया है। सर्वे में कहा गया है कि नोटबंदी लागू होने के कारण लगभग 15 लाख लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी है और उनके परिवारों के लोग रोटी के लिए तरस गये। कंज़ूमर पिरामिड हाउस होल्ड नामक इस सर्वे में कहा गया है कि जनवरी से अप्रैल 2017 की अवधि में देश में कुल नौकरियों की संख्या घट कर 40 करोड़ 50 लाख रह गई है, जो सितम्बर से दिसम्बर 2016 की अवधि में 40 करोड 65 लाख थी। नोटबंदी पर वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा है।

येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर श्याम सुन्दरने टाइम्स ऑफ इंडिया 11 जनवरी 2017 में प्रकाशित अपने एक लेख में कहा कि नोटबंदी के कारण बैंकों में खाता धारकों की संख्या बढ़ेगी और इससे बैंकों का कारोबार भी बढ़ेगा परन्तु आम आदमी में व्याप्त निरक्षता के कारण इसमें जटिलता भी आयेगी। लेख में कहा गया है कि कर दाताओं की संख्या बढ़ने के साथ ही करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में भी वृद्धि होगी। इससे केन्द्र और राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

लेख में यह भी कहा गया है कि नोटबंदी से कालाधन में कमी आयेगी। फलस्वरूप विलासिता के समान जो कालेधन से खरीदे जाते हैं, उनका उत्पादन और उनकी बिक्री कम होगी। इससे शादी आदि के मौके पर खर्चे भी कम होंगे। लेख में यह भी कहा गया है कि नोटबंदी के कारण राजनीतिक दलों को मिलने वाले चन्दे में भी कमी आयेगी।

नोटबंदी से कालाधन भले ही समाप्त नहीं हुआ परन्तु कालाधन रखने वाले सरकार की निगाह में आ गये हैं। इसीलिए देशव्यापी छापे मारे जा रहे हैं। नोटबंदी से सबसे बड़ा लाभ

भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हुआ। मोदी जी की लोकप्रियता शिखर पर पहुंच गई है।

सरकार की तरफसे दावा किया जा रहा है कि नोटबंदी के बाद डिजिटल कारोबार दोगुना हो गया और अगले 5–6 वर्षो में देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था छह लाख करोड़ रूपये की हो जायेगी। परन्तु ताजा आंकड़ो से पता चल रहा है कि डिजिटल कारोबार करने की जो गति प्रारम्भ में थी वह धीमी हो गई है। उम्मीद है कि जीएसटी लागू होने के बाद फिर इसमें तेजी आयेगी।

नोटबंदी निश्चित रूपसे सही दिशा में उठाया गया एक साहसिक कदम है। परन्तु एक बात समझ से परे है कि नोट बदलने की सुविधा को नियंत्रित क्यों नहीं किया गया। अगर प्रारम्भ से ही यह नियम बना दिया जाता कि पुराने नोट बदलने वालो को अपने पुराने नोट अपने खातों में जमा कराना होगा और उसके बदले उन्हें नकद या खाते में नये नोट मिलेंगे। अगर यह व्यवस्था लागू की गई होती तो नकली नोट और कालाधन इतनी आसानीसे सफेद नहीं हो गये होते। बैंकों के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध और जालीनोट बैंकों में जमाकर होकर सफेद हो गये है। इससे नोटबंदी का उद्देश्य पूरानहीं हो सका है।

इस बीच नोट बंदी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। सुधा मिश्रा और कुछ अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं पर विचार के दौरान मुख्य न्यायाधीश के.एस.खेहर और न्यायामूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ ने 4 जुलाई को इस विषय पर सरकार को संजीदगी से विचार करने का निर्देश दिया।

सरकार ने इस संबंध में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि 5सौ और 01 हजार रूपये के पुराने नोटों को बदलने का एक और मौका नहीं दिया जा सकता है क्योंकि एक और मौका देने से कालाधन के खिलाफ शुरू किया गया संघर्ष कमजोर होगा।

(50)

प्रधानमंत्री ने 8 नवम्बर की रात को अपने संबोधन में कहा था कि पुराने नोट 30 दिसम्बर तक बदले जा सकते हैं। बाद में कुछ शर्तो के साथ पुराने नोट जमा कराने की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई। परन्तु सरकार ने अचानक यह अवधि कम करके 30 दिसम्बर तक सीमित कर दिया। हालांकि एनआरआई के मामले में यह सीमा अभी भी 30 जुलाई 2017 है। सरकार के इस निर्णय से कई लोग मुसीबत में पड़ गये है।

नौकरशाही में भ्रष्टाचार किस तरह घुस गया है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के दो और भूतपूर्व मुख्य सचिवों को जिनमें एक रिटार्य मुख्य सचिव है 15 सौ करोड़ रूपये को गोमती रिवर फ्रंड घोटाले में चार्जशीट दी गई है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। उधर आगरा में पीडब्ल्यूडी से सड़क निर्माण का ठेका अनुचित ढंग से प्राप्त करने के आरोप की भी जांच की जा रही है। आरोपी नेता समाजवादी पार्टी के हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने आगरा, मथुरा, आजमगढ़ और जौनपुर में एक हजार 600 करोड़ रूपये का सड़क निर्माण का ठेका अवैध ढंग से प्राप्त किया।

पिछले दिनों रांची में काम कर चुके आयकर विभाग के एक प्रमुख आयुक्त के यहां पड़े छापे में साढ़े तीन करोड़ रूपये नकद और पांच किलो सोना बरामद हुआ। इसके साथ ही नये नोट भी बरामद किये गये। उनके खिलाफ आरोप है कि वे कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर कालेधन को सफेद करने के धंधे में लगे हुए थे।

अफसरशाही की बात निराली है परन्तु न्यायपालिका के कुछ सदस्य भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जा रहे हैं। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 15 न्यायिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में उनके पदों से हटा दिया।

टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 अप्रैल 2016 को प्रकाशित एक खबर के अनुसार तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में पूर्ण पीठ की एक बैठक में 15 जिला न्यायाधीशों को पद से हटाने का फैसला लिया गया।

इससे पहले सितम्बर 2014 में भी हाईकोर्ट ने 11 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे न्यायायिक अधिकारियों को उनके पदों से झगड़ा करने और शराब पीने के आरोप में हटा दिया था। वर्ष 2015 में मद्रास हाईकोर्ट ने भी 4 जिला जजो को गंभीर आरोपों में पद मुक्त कर दिया था।

नोटबंदी के बाद 15 नवम्बर से 25 दिसम्बर 2016 के बीच देश में दो करोड़ दस लाख नये खाते खोले गये, जिनमें तीन लाख करोड़ से ज्यादा की राशि जमा की गई। इसमें पचास हजार करोड़ की राशि नगद भी थी ये जानकारी फाइनेशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने दी। नोटबंदी के बाद कालाधन खपाने के केवल दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता था गोल्ड आदि खरीदना। तथा दूसरा रास्ता था पुराने नोट को खत्म करना। लोगों ने दूसरा रास्ता अपनाया।

आयकर विभाग द्वारा जांच के बाद का गया कि सहकारी बैंकों ने कालाधन को सफेद बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया। अलवर में 90 संदिग्ध व्यक्तियों के नाम पर लोन लेकर 8 करोड़ का चूना लगाया गया। जयपुर में एक सहकारी बैंक में डेढ़ करोड़ रूपये *क्लियरिंग* हाउस की आलमारी में पाया गया। ईडी के अनुसार 16 से 21 नवम्बर के बीच आईसीसीआई के एक ब्रांच में 13 सहकारी बैंकों द्वारा 159 करोड़ के पुराने नोट जमा कराये गये। एक अन्य मामले में मुंबई में 196 करोड़ के पुराने नोट एक सहकारी बैंक में जमा कराये गये।

नोटबन्दी के बारे में रिवर्ज बैंक ने लीपापोती पूरी कर ली है। पुराने नोट जमा करने की अन्तिम तिथि 30 दिसम्बर के बाद 12 जनवरी को बताया कि और 08 नवम्बर के बाद 500/– के साढ़े सोलह लाख करोड़ तथा एक हजार रूपये के 6.7 लाख करोड़ के पुराने नोट जमा कराये गये। बन्द नोटों की कुल करेन्सी में इनकी हिस्सेदारी 86 प्रतिशत थी।

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आयकर विभाग ने गत 3 वर्षो में 72 हजार करोड़ रूपये से अधिक कालेधन का पता लगाया है। वित्त मंत्रालय ने एक हलफनामा दाखिल करके बताया कि 9 नवम्बर 16 से 10 जनवरी 2017 तक नोटबंदी के बाद 54 हजार करोड़ से अधिक अघोषित धन का पता चला है। इसके साथ ही 3 हजार 3 किलोग्राम से अधिक सोना भी बरामद किया गया है।

हलफनामे में यह भी बताया गया है कि गत 3 सालों में आयकर विभाग ने 2027 समूहों में छापे मारे, जिनमें 36 हजार 51 करोड़ से अधिक अघोषित आय का पता चला। इसमें से 2890 करोड़ की अघोषित सम्पत्ति जब्त भी की गई।

आयकर विभाग ने इस अवधि में 15 हजार से अधिक सर्वेक्षण की और 33 हजार करोड़ से अधिक अघोषित आय का पता चला।

शपथ पत्र में बताया गया है कि नोटबंदी के बाद एक सौ दस करोड़ के नये नोट छापों में बरामद किये गये तथा 5 हजार 4 सौ करोड़ से ज्यादा अघोषित आय का पता लगा।

आपरेशन क्लीन मनी के दूसरे चरण के अन्तर्गत आयकर विभाग उन लोगों से पूछताछ कर रहा है, जिन्होंने नोटबन्दी के बाद अर्थात आठ नवम्बर 2016 के बाद 30 दिसम्बर 16 तक अपने खाते में पैसे जमा कराये और इसका मेल उनके इनकम टैक्स रिटर्न से नहीं खाता है। पहले भाग के अन्तर्गत आयकर विभाग ने 17.92 लाख लोगों ने पहचान की थी, जिन्होंने इस अवधि में अपने खाते में बेहिसाब पैसे जमा कराये थे। 17.92 लाख में से 9.72 लाख लोगों ने आन लाइन जवाब सबमिट कर दिया है परन्तु 6.5 लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे लोग अब भी आन लाइन जवाब दे सकते हैं। आयकर सूत्रों ने बताया कि लगभग एक लाख लोग ऐसे है जिन पर आयकर विभाग की नजरें लगी हुई है। इस प्रकार 5.5 लाख लोगों को भी नोटिस जारी की जा सकती है।

(एनबीटी पृष्ठ 14 दिनांक 14.07.2017)

सरकार ने संसद में प्रस्तुत वर्तमान वित्त वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार यह स्वीकार किया कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को शुरूआती चपत लगी है और आर्थिक विकास दर दशमलव दो पांच से घटकर दशमलव पांच शून्य तक कम होने का अनुमान है। संसद में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा कि नोटबंदी के दौरान कुछ बैंकों के कर्मचारियों ने 71 करोड़ 47 लाख के 5 सौ एक एक हजार के पुराने नोट अवैध तरीके से बदल दिया था। इसके बाद सरकारी बैंकों के 156 वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित किया गया। सबसे ज्यादा अवैध लेन–देन एक्सिस बैंक की तीन शाखाओं में किया गया।

इसी तरह 6 मामलों में धनलक्ष्मी बैंक के 8 कर्मचारी लिप्त पाये गये। उन्होंने लोगों से 22 करोड़ 67 लाख रूपये का कालाधन कमाया। अन्य बैंकों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

न्यू वर्ल्ड हेल्थ की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल सम्पदा 6 हजार 2 सौ अरब डालर बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में करोड़पतियों की संख्या 2 लाख 64 हजार है, जिनमें 95 अरबपति भी है। मुंबई देश का सबसे अमीर शहर है। ये आंकड़े दिसम्बर 2017 तक के हैं।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए सिर्फ नोटबंदी काफी नहीं है। सभी प्रकार की अघोषित सम्पत्ति का पता लगाने के लिए और कई कदम उठाये जाने चाहिए। सरकार ने कालाधन को सफेद करने वाली मुखौटा कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया है।

नोटबंदी के बाद सबसे अधिक आभूषणों का कारोबार कराने वालों ने कालाधन सफेद बनाने में मदद की। एक अनुमान के अनुसार उनके पास 3 सौ टन गैरकानूनी गोल्ड का स्टाक है। आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापे के बाद पता चला कि अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के पास कालाधन जमा कर रखा है। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग की जांच में पता चला कि लगभग 18 लाख बैंक खाते संदिग्ध है। इनमें से आधे खाता धारक अपनी आय का हिसाब नहीं दे पाये। नोटबंदी के बाद अभी भी पुराने नोटों को बदलवाने का धंधा जारी है।

राजधानी लखनऊ में एक कार से 98 लाख रूपये के पुराने नोट बरामद किये गये। जिन्हें एनआरआई के जरिये बैंक से बदलवाने की योजना थी। लखनऊ में ही स्मृति उपवन के पास नाला सफाई के दौरान पॉलिथीन बैंग में रखे पुराने नोट मिले, जो संभवतः नकली नोट थे।

नोटबंदी के बाद शुरू की गई स्कीम में अघोषित नगदी बैंकों में जमा कराने वालों को कार्रवाई से बचने का मौका दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई के अन्तर्गत मई 2017 तक केवल 5 हजार करोड़ रूपये ही घोषित किये गये।

योजना के अनुसार लोगों को घोषित की गई आय पर 50 प्रतिशत टैक्स और दण्ड के रूप में देना था तथा 25 प्रतिशत राशि 4 वर्षो के लिए बिना ब्याज वाले डिपाजिट में रखना था। यह योजना सफल नहीं हो सकी।

वित्त मंत्रालय ने कालेधन के बारे में सूचना देने के लिए ईमेल का पता दिया था। इसमें कुल 36 हजार लोगों ने सूचनायें दी। परन्तु उनमें से केवल 16 प्रतिशत को जांच के लिए भेजा गया।

नोटबंदी के फलस्वरूप गत वित्त वर्ष में टैक्स देने वालों की संख्या में लगभग 95 लाख की वृद्धि हुई है। इस वर्ष लगभग 5 करोड़ 28 लाख रिर्टन दाखिल किये गये। परन्तु रिजर्व बैंक को अब भी यह पता नहीं है कि कुल कितने पुराने नोट वापस आये। रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार 30 दिसम्बर 2016 तक 15 लाख करोड़ के पुराने नोट वापस आये। यह अनुमान इस बात पर आधारित है कि 19 दिसम्बर के बाद रिजर्व बैंक ने नये नोट जारी नहीं किये हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जांच एजेंसियों ने 10 जनवरी तक 5 हजार 4 सौ करोड़ के कालेधन का पता लगाया।

नोटबंदी के दौरान बरेली की एसबीबाई शाखा में 2 हजार नये खाते खोले गये और 8 करोड़ रूपये जमा करा दिये। अभी भी लोगों के पास से पुराने नोट मिल रहे हैं। कुछ लोग इतने चालाक है कि कूरियर के माध्यम से पुराने नोट विदेश भेज रहे हैं।

नोटबंदी के बाद 45 दिनों में प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमाराशि करीब दो गुनी बढ़कर 87 हजार सौ करोड़ रूपये हो गई। आयकर विभाग उन चार लाख छियासी हजार जनधन खातों की पड़ताल कर रहा है जिनमें 30 से 50 हजार रूपये जमा कराये गये। 10 नम्बर से 23 दिसम्बर के बीच जनधन के 48 लाख खातों में 41523 करोड़ रूपये जमा कराये गये।

नोटबंदी के बाद स्वेच्छा से कर देने वालों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2015—16 में करदाताओं की संख्या 5 करोड़ चौबीस लाख थी, जो वर्ष 2016—17 में बढ़कर 6 करोड़ 25 लाख तक पहुंच सकती है। वर्तमान वित्त वर्ष पहली तीन महीनों में एडवांस टैक्स जमा करने वालों की संख्या 40 प्रतिशत की हुई है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 8 नवम्बर को 5 सौ और एक हजार मूल्य के 17.5 लाख करोड़ के रूपये मूल्य के नोट अमान्य किये गये जो उस समय चलने में कुछ नोटों का 85 प्रतिशत था।

<><><><><><>

आय घोषणा योजना

केन्द्र सरकार ने कालाधन की समस्या के समाधान के लिए आय घोषणा योजना शुरू की थी। 30 सितम्बर 2016 को समाप्त अवधि के दौरान इस योजना से 65 हजार 250 करोड़ रूपये कालाधन उजागर हुआ। इससे अनुमानतः सरकार को 30 हजार करोड़ रूपये का राजस्व मिलेगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह राशि कई योजनाओं के सालाना बजट से भी अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि ढाई साल के अपने कार्यकाल में मोदी सरकार ने एक लाख चालीस हजार 741 करोड़ रूपये के घरेलू और विदेशी कालेधन का पता लगया है।

आय घोषणा 2016 के अन्तर्गत 64 हजार 275 लोगों ने 65 हजार 250 करोड़ रूपये के कालाधन की जानकारी दी। इससे पहले 1997 में स्वैक्षिक आय घोषणा योजना के अन्तर्गत 9 हजार 760 करोड़ रूपये कालेधन की जानकारी लोगों ने दी। (टाइम्स ऑफ इंडिया 20.10. 2016)

इस प्रकार 1997 में एक व्यक्ति ने औसतन 7 लाख रूपये घोषित किये थे, जबकि वर्ष 2016 में एक व्यक्ति ने औसतन एक करोड़ रूपये उजागर किये। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पिछले 20 वर्षो में देश में कालाधन करीब 15 गुना बढ़ा है।

वर्ष 2011 में यूपीए सरकार ने कालाधन पर श्वेत पत्र जारी किया था। इसमें भी देश में कितना काला धन है इसका आकलन नही था। बाद में 3 एजेंसियों एनसीईएआरए एनआईपीएफपीए और एनआईएफ एम का कालाधन का आकलन करने का काम दिया गया। स्विस बैंक ने वर्ष 2012 में बताया कि उनके बैंकों मे भारतीय के जमा धन महज दो अरब डालर है। बाबारामदेव ने 2011 में बताया कि देश विदेश में भारतीयों के पास 4 सौ लाख करोड़ रूपये का कालाधन छिपा है।

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरूण कुमार का विचार है कि काली अर्थव्यवस्था के आकार के लिहाज से घोषित धनराशि काफी कम है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय काली अर्थ व्यवस्था का विस्तार जीडीपी के 62 प्रतिशत के बराबर है।

उन्होंने कहा कि देश में 90 लाख करोड़ की काली अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। 1955–56 में अनुमान लगाया गया था, उसके अनुसार उस समय काली अर्थव्यवस्था चार पांच प्रतिशत थी। 1980–81 में नेशनल इंस्ट्टीयूट ऑफ पालिशी एण्ड फाइनेंशिल प्लानिंग में बताया कि अर्थ व्यवस्था का आकार बढ़ कर जीडीपी का 18 से 20 प्रतिशत हो गया है। प्रोफेसर अरूण कुमार ने 1988 में इसे 35 प्रतिशत के बराबर माना। 1995.96 में काली अर्थव्यवस्था जीडीपी का 40 प्रतिशत हो गया। उनके अनुसार 1997 में काली अर्थव्यवस्था करीब 3 लाख करोड़ रूपये की थी, लेकिन उस समय साढे चार लाख से अधिक लोगों ने 33 हजार करोड़ रूपये से अधिक काली कमाई की घोषणा की। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक ग्लोबल फाइनेशियल इंटीग्रिटी के अनुसार 25 लाख करोड़ कालाधन है। जबकि भाजपा द्वारा गठित टॉस्क फोर्स का मानना है कि देश में 5 सौ से 14 सौ अरब डॉलर का कालाधन है।

<><><><><><>

(58)

भ्रष्टाचार अब भी चुनाव का मुद्दा

भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति में अब भी सबसे अधिक लुभावना और राजनेताओं के लिए लाभदायक नारा है। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के दस वर्ष के शासनकाल में हुए घोटालों और बढ़ती हुई महंगाई से लोग ऊब चुके थे। ऐसे माहौल में नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार समाप्त करने ओर महंगाई से मुक्ति दिलाने का नारा प्रभावशाली ढंग से उठाया। लोगों ने अब की बार मोदी सरकार के कोरस से प्रभावित होकर भाजपा को 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत दे दिया। पिछले तीन वर्षो में महंगाई तो कम हुई नहीं, हाँ इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार का कोई बड़ा काण्ड अभी तक उजागर नहीं हुआ है। लोगों को उम्मीद थी कि मोदी के नेतृत्व में विदेश से कालाधन आयेगा और सभी के खाते में कम से कम 15 लाख रूपये जमा होंगे और अच्छे दिन आ जायेंगे। परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने विदेश से कालाधन लाने का प्रयास नहीं किया। सरकार ने विधिवत एक कानून पारित किया। इतना ही नहीं अघोषित सम्पत्ति घोषित करने की योजना भी चलाई, जिसमें कर में रियायत देने की घोषणा की गई। परन्तु इसका भी परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। मोदी जी अगले चुनाव में भी सफलता हासिल करके पुनः प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कई बार अपनी इच्छा को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त भी किया है। परन्तु गत लोकसभा चुनाव में किये गये वादों को पूरा नहीं होने पर वे अगले लोकसभा चुनाव में विजय कैसे हासिल करेंगे। अतः उन्होंने काफी सोच समझकर भ्रष्टाचार को फिर मुद्दा बनाने का निर्णय लिया। इसी क्रम में उन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया है।

भारतीय राजनीति में जय प्रकाश नारायण ने सबसे पहले सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा देकर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। उन्हें सफलता तो नहीं मिली, किन्तु इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित करने के बाद देश में आपातकाल लागू होने से स्थिति बदल गई। आपातकाल समाप्त होने के बाद इंदिरा जी की पराजय हुई और जनता पार्टी का शासन स्थापित हो गया। जनता पार्टी की जीत आपातकाल की ज्यादतियों के कारण हुई। हालांकि इसमें जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन का भी अच्छा योगदान था।

(59)

भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने का काम राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी किया। उन्होंने बोफोर्स तोप सौदे में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और उनकी जीत भी हो

गई। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त करने और बोफोर्स सौदे में दलाली करने वालों को कोई सजा नहीं दिलाई। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह दूसरे मामलों में भटक गये। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भूल गये और मंडल आयोग लागू करके देश में जातिगत संघर्ष की नीव डाल दी। फिर भी भ्रष्टाचार के प्रति लोगों के नजरिये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर दिल्ली के लोगों को सब्जबाग दिखाया और आप पार्टी का गठन करके दिल्ली की सत्ता हथिया ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल और अन्ना हजारे का आन्दोलन भी टॉय–टॉय फिश हो गया। मोदी जी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और महंगाई को मुद्दा बनाया और जनता ने उन्हें बहुमत दे दिया। मोदी जी ने तय कर लिया है कि अगले लोकसभा चुनाव में भी वे भ्रष्टाचार को मुद्दा बनायेंगे। इसके लिए ही उन्होंने नोटबंदी का निर्णय आनन–फानन में लिया है। नोटबंदी से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। देश की अर्थव्यवस्था पीछे की ओर जा रही है। फिर भी आश्चर्य है कि मोदी जी चिन्तित नहीं है और देश के लोग भी मोदी जी के निर्णय का विरोध नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि विपक्षीदल भी नोटबंदी का विरोध नहीं कर रहे हैं। परन्तु उन्होंने यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का निर्णय बहुत जल्दी में लिया है, जिससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। विपक्ष नोटबंदी से हो रही परेशानियों को मुद्दा बनाकर मोदी जी को चुनावों में पटकनी देना चाहता है।

मोदी जी को विश्वास है कि चुनाव के पहले स्थिति सामान्य हो जायेगी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनः लोग उनके पक्ष में ही मतदान करेंगे। मोदी के आत्मविश्वास और अहंकार का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बैंकों के सामने घंटों लाइन में खड़े लोगों की परेशानियों पर न तो उन्होंने खेद जताया और न ही लाइन में खड़े–खड़े मरने वाले लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। मोदी जी देश में कहीं भी छोटी मोटी दुर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति भी सबसे पहले ट्वीट करके शोक जताते है, परन्तु नोटबंदी की लाइनों में मृतकों के प्रति उन्होंने खेद भी नहीं प्रकट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का निर्णय इतने गोपनीय ढंग से और अचानक क्यों लिया।

(60)

इसका जिस प्रकार विरोध हो रहा है, उससे स्पष्ट है कि नोटबंदी के निर्णय से सबसे अधिक विपक्षी पार्टियां बौखला गई है। उ0प्र0 में विधानसभा चुनाव में बसपा, सपा, कांग्रेस सभी पार्टियों को हार का मुँह देखना पड़ा। उनकी तिजोरियों में रखा पैसा मोदी जी ने अचानक नोटबंदी का ऐलान करके बेकार कर दिया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी ने चुनाव में अपने उम्मीदवारों को पैसा नहीं देने का निर्णय

लिया। नोटबंदी के कारण चुनाव में खर्च करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने तो नोटबंदी के बाद यहां तक कह दिया कि मोदी को नोटबंदी का फैसला कम से कम एक सप्ताह के लिए टाल देना चाहिए। बसपा ने अपने उम्मीदवारों से ली सहयोग की धनराशि को लौटा दिया। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का विरोध देखने और सोचने लायक है। वह क्यों विरोध कर रही है। इसका कारण स्पष्ट है कि उनके मतदाताओं में भारी संख्या में ऐसे लोगों की है जिन्हें विदेश से नकली नोट और आर्थिक सहायता मिलती है। यह सारी धनराशि बेकार हो गई। ममता दीदी के मतदाता ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ममता जी को नोटबंदी का विरोध करना ही है। मोदी जी ने नोटबंदी करके विपक्षीदलों की कमर तोड़ दी है।

08 नवम्बर की रात्रि को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए जिन कारणों का उल्लेख किया, उनका तो कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी से कालाधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

आतंकियों के पास भी नये नोट पहले पहुंच गये। अब जो छापे पड़ रहे हैं, उनसे यह बात उजागर हो रही है कि नोटबंदी के बाद जब जनता नगदी के लिये बैंकों के रोज चक्कर लगा रही है, कुछ लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भारी संख्या में नये नोट जमा करा लिये। अनुमान है कि नोटबंदी से लगभग दो प्रतिशत कालेधन को नियंत्रित किया जा सका है।

नोटबंदी से जहां आम आदमी और मध्यम वर्ग के लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं उन लोगों को आर्थिक लाभ भी हुआ है, जिनके बैकों में खाते है, परन्तु वे उनमें पैसा नहीं जमा कर पाते हैं। कालेधन वालों ने इन लोगों के खाते में पैसे जमा कराकर उन्हें कमीशन दिया है।

जनधन खातों वालों के तो पौ बारह हो गये। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने खातों से पैसे निकालने नहीं दे। गरीब वर्ग के लोगों में यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि मोदी जी अपनावादा पूरा करेंगे और उनके खातों में 15 लाख रूपये जरूर आयेंगे। मोदी जी को भी विश्वास हो गया है, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर वे अगले चुनाव की तैतरणी जरूर पार जायेगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान मीडिया रिपोर्ट एक्जिट पोल और लोगों से बात करने पर ऐसे संकेत मिलने लगे थे कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी।

परन्तु भाजपा को तीन चौथाई बहुमत मिल जायेगा, इसका आभास गिने चुने चुनाव विशेषज्ञों को ही होगा। इस चुनाव में सभी चतुराई करने के बाद भी सपा और बसपा को मुँह की खानी पड़ी। अब बसपा प्रमुख मायावती ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा ने ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की। चुनावों में इस तरह की गड़बड़ी होने से इंकार नहीं किया जा सकता। परन्तु जब तक कोई ठोस सबूत न हो, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि ईवीएम मशीनों में हेराफेरी की गई। अगर हेरा फेरी की गई तो बसपा को 19 और सपा को 47 सीटें कैसे मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में हारी हुई प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन ने भी आरोप लगाया है कि ट्रंप ने चुनाव में गड़बड़ी कराई।

इन्हीं ईवीएम मशीनों के माध्यम से 2007 में बसपा और 2012 में सपा को बहुमत मिला था। जो भी हो फिलहाल स्थिति यह है कि भाजपा की अप्रत्याशित जीत से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रूतबा और लोगों का उन पर विश्वास बढ़ गया है। इतना ही नहीं 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की जीत की संभावना बढ़ गई है।

आरोप लगाने के साथ ही मायावती को अपनी पार्टी की कमियों पर भी विचार करना चाहिए। बसपा कांशीराम जी की देन है। उन्होंने दलित वर्ग की सभी जातियों और पिछड़े वर्ग को एक करके प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति को जन्म दिया। उन्हें सत्ता तक पहुंचने में सफलता भी मिली। परन्तु कांशीराम के बाद मायावती ने दलितों को अपना वोट बैंक समझ लिया। 2007 के चुनाव में उनकी पार्टी को सफलता भी मिली। इसका कारण यह था कि सवर्णो ने उनको सहयोग दिया।

दूसरा कारण यह था कि बसपा की प्रतिद्वंदी सपा के नेता मुलायम सिंह यादव से उनका वोट बैंक यादव ही नाराज हो गया था। अतः अल्पसंख्यकों का वोट मिलने के बाद भी सपा सत्ता में नहीं आ सकी। परन्तु 2012 में जब सपा का अपना वोट वापस आ गया तो सपा को फिर सफलता मिल गई।

2017 के चुनाव में मायावती ने सोचा कि अगर मुसलमानों का वोट उन्हें मिल जाये तो दलित वोटों को मिलाकर वे सत्ता प्राप्त कर सकती है। उनका सोचना सही था, इसलिए उन्होंने लगभग एक चौथाई टिकट मुसलमानों को दिये। परन्तु मायावती का गणित फेल हो गया। सभी अल्पसंख्यकों ने उन्हें वोट नहीं दिया। इतना ही नहीं, दलित वोटों का एक बड़ा

वर्ग जो जाटव नहीं था, छिटक कर भाजपा की तरफ चला गया। यही मोदी और अमित शाह की रणनीति थी, जो सफल साबित हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक नोटबंदी लागू करके बसपा और सपा की कमर पहले ही तोड़ दी थी। इसका भी प्रभाव चुनाव पर पड़ा। भविष्य में भी बसपा से जो वोट अलग हो गया है, उसके बसपा में वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है।

अतः उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का अध्याय अब समाप्त ही समझा जाना चाहिये। मायावती की मुश्किल बढ़ती जायेगी।

इस चुनाव में सपा और बसपा को लगभग बराबर मत मिले है, परन्तु सपा को सीटें ज्यादा मिली है। सपा को 27 प्रतिषत से कुछ अधिक और बसपा को 22 प्रतिषत मत मिले है, जबकि भाजपा और सहयोगी दलों को लगभग 45 प्रतिषत वोट मिले हैं। मीडिया में सपा के अध्यक्ष अखिलेष यादव की जीत के दावे किये जा रहे थे। परन्तु उन दावों में कोई दम नहीं था। माना अखिलेष सरकार ने पांच साल के कार्यकाल में बहुत काम किया होगा। परन्तु सपा शासन में भ्रष्टाचार तथा कानून और व्यवस्था के खराब होने में किसी को सन्देह नहीं था। राजधानी लखनऊ में आये दिन संगीन अपराध होते रहे। ग्रामीण इलाकों में सपा के नेता जबरदस्ती जमीन और मकानों पर कब्जे करते रहे।

लोगों को एफआईआर दर्ज कराने के लिये सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ती थी। लोकसेवा आयोग में पक्षपात और जातिवाद का खुल खेल था। पढ़े लिखे नौजवान हताष और निराष हो गये थे। सपा सरकार के निर्णयों पर हाईकोर्ट का चाबुक लगता रहा। इसका मतलब है कि सपा सरकार की कार्यप्रणाली में कोई दोषी अवष्य था।

यादव सिंह, गायत्री प्रजापति और अन्य कई मामलों से सपा सरकार के रवैये से यह स्पष्ट है कि सपा सरकार खुलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी। एक अच्छी बात यह है कि इस बार सपा के कार्यकाल में एक जाति विषेष को काम कराने के लिए घूस नहीं देना पड़ता था। कहते हैं कि किसी विदेषी चुनाव विषेषज्ञ ने अखिलेष की चुनावी रणीनति बनाई थी किन्तु वह फेल हो गई। इस चुनाव की एक विषे”ाता यह थी कि चुनाव विषेषज्ञ पी.के. का जादू

समाप्त हो गया। पी.के.ने पहले कांगेस जैसी दागदार और कमजोर पार्टी को जिताने का जिम्मा लिया, परन्तु सफल नहीं हो सका। अब अगले चुनावों में कोई पी.के. या विदेषी विषेषज्ञ पर भरोसा नहीं करेगा।

इस चुनाव से यह भी तय हो गया है कि मुख्यमंत्री अखिलेष ने अन्तिम समय में कांग्रेस के साथ समझौता और अपने पिता तथा परिवार के सदस्यों के प्रति जो कड़ा रूख अपनाया वह लटका–झटका साबित हुआ। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने यह सिद्ध कर दिया है कि आज मतदाता लटका–झटका से प्रभावित होने वाला नही है। आज मतदाता विषेषकर गरीब मतदाता को वह नेता पसन्द है जो सचमुच भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करता है। यही कारण है कि लोगों ने नोटबंदी से होने वाली तकलीफों को भुला दिया और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिये मोदी के नेतृत्व में भाजपा के पक्ष में मतदान किया।

ऐसा कुछ लोग कह रहे है कि अखिलेष यादव के विद्रोह के कारण सपा की हार हुई। हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो, परन्तु लोग भूल जाते है कि अगर अखिलेष विद्रोह नहीं करते तो तब भी उनकी पार्टी को एन्टी इन्कंवेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ता। अखिलेष ने जो विद्रोह किया वह उनके हित में है।

(64)

अखिलेष के लिये वह समय 'डू आर डाई' का था। उनकी पार्टी की हार तो निष्चित थी। अब कम से कम वे पार्टी के अध्यक्ष तो है। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता ने जो बयान दिया है, उससे स्पष्ट है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। वे अखिलेष को धीरे–धीरे परिदृष्य से हटाकर हाषिये पर डालने का प्रयास कर रही थी, जो अब भी जारी है। अगर अखिलेष विद्रोह नहीं करते तो वे कहीं के नहीं होते– न घर का न घाट का। इस समय वे पार्टी के अध्यक्ष तो है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के लिए उत्तर प्रदेष विधानसभा चनाव एक कार्यषाला की तरह रहा। उन्होंने एक नई तरह की चुनावी रणनीति का प्रयोग किया, जो सफल सिद्ध हुई है। इसी आधार पर वे 2019 में लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गरीब वर्ग के मतदाताओं को यह समझाने में सफल हो गये हैं कि वे सभी जातियो वर्गो और धर्मो के गरीब वर्गो की उन्नति चाहते हैं।

वे सरकार से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते है। उत्तर प्रदेष विधानसभा चुनाव के परिणामों से यही लगता है कि आम जनता को मोदी जी पर विष्वास है। इसी के साथ अगले लोकसभा चुनाव की रणभेरी भी बज गई है। अब आज से उसी की चर्चा होगी। विपक्षी पार्टियां जब तक संभल पायेंगी, मोदी लहर की सुनामी में वे अपनी जमीन खो चुकी होंगी।

<><><><><><>

भारतीय स्विस बैंक हो सकता है एक विकल्प

मोदी सरकार ने कालाधन समाप्त करने के लिए कई कदम उठाये हैं। लगता है कि सरकार कालाधन के बारे में काफी गंभीर है। सरकार ने विदेश में जमा कालाधन पता लगाने के लिए ब्लैकमनी एक्ट 2015 पारित किया। इससे 50 हजार करोड़ की राशि पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता में एक एस0आई0टी0 का गठन किया गया। इससे 21 हजार करोड़ की अघोषित आय का पता लगा है। मोदी सरकार ने मनी लांडरिंग एक्ट और फेमा में संशोधन किया है। सरकार 03 लाख से अधिक नगद के लेन–देन पर रोक लगाने का विचार कर रही है। सरकार के प्रयास से अकेले एच0एस0बी0सी0 बैंक के खातों में 8 हजार करोड़ से अधिक विदेश में रखा कालेधन का पता लगा। जाने–माने अर्थशास्त्री अरूण राय के अनुसार देश की 40 प्रतिशत सम्पत्ति कालेधन के रूप में बाहर जमा है। देश में भी 70 प्रतिशत से अधिक सम्पत्ति कालेधन के रूप में हैं जो तेजी से बढ़ रही है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। देश में कालाधन लोगों की तिजोरियों में बिस्तरों में और अन्य स्थानों पर दबा पड़ा है। यह सर्कुलेशन में नहीं है। अगर स्विस बैंक की तरह भारत में भी एक बैंक की स्थापना हो जाये जिसमें लोग बेरोक–टोक और बिना पूछताछ के पैसे जमा कर सके तो यह सारी सम्पत्ति सर्कुलेशन में आ जायेगी। भारतीय बैंकों की जमा राशि एक लाख गुना बढ़ जायेगी, इससे सरकार को भी इतनी आमदनी होगी कि सरकार को अपने खर्च के लिए कोई कर नहीं लगाना पड़ेगा। कुछ लोग नैतिकता के नाम पर इसका विरोध कर सकते है। परन्तु भारतीय स्विस बैंक की स्थापना का मतलब यह नहीं होगा कि भ्रष्टाचारियों को छूट मिल जायेगी जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करते पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। किन्तु छापेमारी का धन्धा कम हो जायेगा।

भारतीय स्विस बैंक की विचारधारा से कई लोग नाक–भौंह सिकोड़ सकते है। परन्तु कालाधन देश के सामने एक चुनौती है, इसे जड़ से मिटाना असम्भव है। अतः अच्छा यही होगा कि इसका सही दिशा में उपयोग किया जाये। देश में स्विस बैंक की स्थापना से विदेश से भी लोग पैसा, यहां जमा कर सकेंगे। इस प्रकार के बैंक दुनिया में कई देशों में हैं और सफलता से चल रहे हैं। भारत सरकार को भी इसके बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये। कालाधन का उपयोग करने का यह अच्छा विकल्प हो सकता है।

<><><><><><>

(66)

सरकार के प्रयास

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के पहले ऐसे नेता है, जिन्होंने चुनाव प्रचार के समय भ्रष्टाचार समाप्त करने के अपने वादे को न केवल पूरा करने की कोशिश कर रहे है बल्कि उन्हें इस दिशा में काफी सफलता भी मिल रही है। वैसे भ्रष्टाचार और कालाधन विश्वव्यापी समस्या है। साम्यवादी देशों के नेता भी भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाये जा रहे हैं। भ्रष्टाचार चुनाव का बड़ा प्रभावशाली मुद्दा होता है। भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहले पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बोफोर्स तोप सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर चुनाव लड़ा था परन्तु प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के मुद्दे पर चुनाव जीता लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पद ग्रहण करने के बाद ऐसे कई कदम उठाये है जिनसे भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट होती है। उन्होंने शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद ब्लैकमनी ऐक्ट पारित करवाया। श्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम.बी.शाह की अध्यक्षता ने एसआईटी का गठन किया। इस समिति ने 21 हजार करोड़ रूपये की अघोषित आय का खुलासा किया। मोदी सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट में एक नई धारा 8(8) जोड़ी। इससे हलाला के तहत नुकसान झेलने वाले व्यक्तियों के हित संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत विशेष अदालत के आदेश पर जब्त की गई राशि को उसके कानूनी दायरेदार को सौंपने का मार्ग प्रशस्त हो गया। मोदी सरकार ने कालाधन समाप्त करने के लिए इनकम डिक्लेरेशन स्कम 2016 भी शुरू की, जिसके अच्छे परिणाम आये। सरकार ने फेमा में संशोधन करके फौरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन करके विदेश में सम्पत्ति बनाने वालों के खिलाफ सख्ती करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। इसके फलस्वरूप 3963 करोड़ रूपये का तस्करी का सामान जब्त किया। मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्राजेंक्शन को बढ़ावा देना शुरू किया है। नीति आयोग के सूत्रों ने बताया कि इससे कालाधन समाप्त करने में मदद मिलेगी।

(67)

भारत सरकार ने गार कानून 2017 से लागू किया है। गार अर्थात जनरल एंटी एडवांस रूल्स अब देशी विदेशी कम्पनियां और शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले संस्थागत निवेशक

भारत और दूसरे देशों के बीच दोहरे कराधान समझौते का लाभ उठा सकेंगे परन्तु इसकी आड़ में कर नहीं छिपा पायेंगे। भारत ने सिंगापुर, मारीशस साइप्रस, और स्विटलरलैंड आदि दोहरे कराधान संधि में संशोधन किया। इसके फलस्वरूप इन देशों में कम्पनियों को 50 प्रतिशत पंजीगत लाभ पर कैपिटल गेम टैक्स देना होगा। केन्द्र सरकार ने एनजीओ को नियमित करने का भी बीड़ा उठाया है। एनजीओ कालाधन छिपाने और उसे सफेद करने में काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अदालत ने भी इनके बारे में सख्त रूख अख्तियार किया है। इन सारे कदमों से इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ईमानदारी से देश की अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार और कालाधन का प्रभाव समाप्त करने का प्रयास कर रहे है।

<><><><><><>

सारांश

न्यू वर्ल्ड हेल्थ संगठन के अनुसार भारत की कुल सम्पदा 6 हजार 2 सौ अरब डॉलर है।

विकासशील देशों को कालाधन के कारण 65 लाख करोड़ रूपये का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है।

देश में पिछले 20 वर्षो में कालाधन 15 गुना बढ़ा है। देश में एक अनुमान के अनुसार इस समय 90 लाख करोड़ की काली अर्थव्यवस्था है।

मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ढाई साल में एक लाख 40 हजार 741 करोड़ का देशी और विदेशी कालेधन का पता लगाया है, जो उम्मीद से बहुत कम है।

एन.जी.ओ. अर्थात गैर सरकारी संगठन कालाधन कारोबार के प्रमुख अंग है।

मारीशस, सिंगापुर और कई अन्य देशों के साथ दोहरा कराधान कानून में भारत सरकार ने संशोधन किया है। इन देशों के माध्यम से कालाधन भारत में निवेश करके उसे सफेद करने का कारोबार कम हुआ है।

कालाधन का मूल स्रोत सरकारों की विकास योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त विदेश में अर्जित अवैध सम्पत्ति भी कालाधन का एक स्रोत है। देश में नौकरशाही, राजनेता, एन.जी.ओ. और अन्य कुछ धार्मिक और सामाजिक संस्थायें कालाधन के संजाल का प्रमुख हिस्सा है।

नोटबंदी के बाद देश में 5 सौ और एक हजार रूपये के कितने पुराने नोट संचलन से वापस आये, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। यहां तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस सम्बन्ध कुछ कहने की स्थिति में नहीं है।

नोटबंदी की घोषणा के बाद सरकार की असावधानी, बैंकों के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से देश में चल रहे नकली नोट भी बैंकों मे जमा होकर सफेद धन में बदल गये। इसलिए रिजर्व बैंक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि विमुद्रीकृत कितने नोट वापस आये।

नोटबंदी निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी निर्णय है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को कालाधन और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। यह उद्देश्य भले ही पूरी तरह प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु नोटबंदी के कारण ऐसे लोग जो कालाधन का कारोबार करते हैं, सरकार की निगाह में आ गये हैं।

अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार और कालाधन समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा घोषित जीएसटी कर प्रणाली भी बहुत प्रभावशाली सिद्ध होगी।

सरकार ने भ्रष्टाचार और कालाधन समाप्त करने के लिए और कई कदम उठाये हैं। इन कदमों में डिजिटल लेन–देन पर जोर देना एक महत्वपूर्ण कदम है।

चुनाव में भ्रष्टाचार और कालाधन के साथ डिजिटल व्यवसाय से सम्बन्धित एक रचना प्रस्तुत है :–

(70)

वोट का सौदागर

जी हाँ,
मैं वाट का सौदागर हूँ,
मैं वोट बेचता भी हूँ और
खरीदता भी हूँ
यह मेरा पुश्तैनी धंधा है।
मेरे बाबू (पिताजी) को लोग
वोट बेचवा कहते थे।
परन्तु मैं वोट का सौदागर हूँ।
मैने अपने फैमिली बिजनेस को
विस्तार दिया है,
आखिर मैं एम.बी.ए. हूँ।
इंडिया बड़ा देश है साहब,
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र,
यहां साल भर चुनाव होते रहते हैं,
कभी लखनऊ के तो, कभी दिल्ली के।
प्रधानी और ब्लॉक प्रमुख के, चुनाव भी
कम महत्व के नहीं है।
इनके लिए मैं बकरों की खेती करता हूँ।
पीने के लिए आसपास दोस्तों की भठ्ठियां है।
मुझे क्या मैं तो केवल वोट का सौदागर हूँ।
मेरे पास हर रंग के वोट है,
नीले, लाल, हरे, गुलाबी, सफेद और काले वोट भी है।
जब जिसकी जरूरत हो,
मेरे पास बहुरंगी और तिरंगे वोट भी है।
ज्यादातर वोट पुराने है।
कुछ नये भी है।
कुछ वोट तो पहली बार आये हैं,

उनमें उत्साह बहुत है।

कुछ वोट नोटा के हैं, तो कुछ वोट घर बैठै भी है,

इनकी कीमत जरा ज्यादा है।

हमारे सभी वोट देशी है आपको विदेशी वोट चाहिए,

तो उसका भी इंतजाम कर दूंगा।

एक एनजीओ वाला मेरा मित्र है।

पर साहब मैं पीके नहीं हूँ,

वादा नहीं काम करता हूँ।

मेरा एक वोट पासा पलट सकता है।

क्या करू समय नहीं मिलता है।

मैने कभी अपना वोट नहीं डाला है।

मतदान स्थल पर अपनी आत्मा को धोखा देना मुझे अच्छा नहीं लगता है।

आखिर किसको वोट दूं, सब एक जैसे है, इसलिए आज तक किसी को वोट नहीं दिया।

मैं वोट का सौदागर हूँ साहब, वोट बेचना और खरीदना मेरा धंधा है।

राजनीति भी तो अब समाज सेवा नहीं, केवल उद्योग धंधा बनकर रह गई है।

पर हमारे यहां धर्म और जाति का कोई लफड़ा नहीं है।

2014 के चुनाव में हमारा धंधा कुछ मंदा गया।

किसी मोदी की लहर चल रही थी, वोट खरीदने और बेचने वाले बहुत कम आये।

इस बार डरा हुआ था, नोटबंदी के कारण कहीं हमारा पुश्तैनी बिजनेस ही न बंद हो जाये।

पर ऊपर वाले की लीला देखिये, इस बार तो वोट नगद खरीदने और बेचने वालों की लाइन लगी है।

हाँ तो आप बताये आपको कैसा वोट चाहिए।

आप जैसा चाहेंगे, वैसा वोट देंगे।

परन्तु एक शर्त है मैं अपने धंधे को काला धंधा नहीं बनाना चाहता,

भुगतान केवल डिजिटल लूंगा।

लेखक–जीवन वृत्त

1. नाम : राम सागर शुक्ल

2. पिता का नाम : स्व0 पण्डित विद्याधर शुक्ल

3. जन्म तिथि : 01 जून, 1942

4. पता : 4/137, विकास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

5- ई–मेल एवं मो0 नं0 : ramsagarshulka04@gmail.com, 09839126463

6- राष्ट्रीयता : भारत (जन्मतः)

7. शैक्षिक योग्यता : एम.ए. (संस्कृत), एल.एल.बी.ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय

पत्रकारिता एवं जन संचार में पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि–भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली।

8. वर्तमान व्यवसाय : स्वतंत्र पत्रकारिता और लेखन

9. अनुभव : भारतीय सूचना सेवा के अन्तर्गत काठमाण्डू नेपाल में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता के रूप में काम करने के साथ भारत में विभिन्न पदों पर कार्य करने का अनुभव।

10. लेखन–प्रकाशित रचनाये : 'नहीं यह सच नहीं' कविता संग्रह, सप्त भारती प्रकाशन, मैती देवी, काठमाण्डू नेपाल से वर्ष 2002 में प्रकाशित।

अनजान पड़ोसी– 'भारत नेपाल'–सनातन प्रकाशन लखनऊ से वर्ष 2003 में प्रकाशित। भारत–नेपाल सम्बन्धों में हिन्दी की पहली पुस्तक।

तुलसीदास कृत रामचरितमानस का सम्पादन प्रकाशन वर्ष 2005, मानस के प्रक्षिप्त अंशों को चिन्हित करके विशुद्ध रामचरित मानस का प्रकाशन।

'रेडियो–टीवी समाचार' कैसे लिखे, सनातन प्रकाशन, लखनऊ द्वारा वर्ष 2004 में प्रकाशित। प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा भारतेन्दु सम्मान से पुरस्कृत।

'रेडियो–समाचार' प्रकाशन विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।

HUNAMAN-THE VICTOR AND THE BENEVOLENT आर.के.प्रकाशन लखनऊ द्वारा 2013 में प्रकाशित।

'श्री राम वन गमन' मार्ग प्रकाशन वर्ष 2015।
'भोजपुरी शब्द संग्रह–रचनाधीन।

(2)

रामचरितमानस का अंग्रेजी अनुवाद, सुन्दरकाण्ड का अनुवाद प्रकाशित।
विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विशेष कर दक्षिण एशिया के बारे में 100 से अधिक लेख प्रकाशित।

11. पुरस्कार और सम्मान :

हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में मौलिक लेखन के लिए प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में भारतेन्दु पुरस्कार से सम्मानित।
हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान के लिए नागरी प्रचारिणी सभा, देवरिया द्वारा 14 दिसम्बर, 2002 को नागरी भूषण सम्मान से अलंकृत।

12.अन्य उपलब्धियां :
बारे

हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के

में सम्मेलन का आयोजन तथा अभियान का संचालन।

देवरिया जिले के पोस्ट–तरकुलवा, ग्राम–मठियारत्ती में तुलसी स्मारक का निर्माण।
रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि और भारतीय योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के जन्म स्थान के विकास कार्य में सहयोग।
आयोजक–अयोध्या से जनकपुर तक राम–जानकी सांस्कृतिक और साहित्यिक यात्रा। यात्रा का उद्देश्य हिन्दू, इस्लाम, गोरखपंथी, कबीरपंथी, नाथपंथी और अन्य सम्प्रदायों से जुड़े स्थानों का दर्शन करने के साथ ही हिन्दी के महान साहित्यकारों तुलसीदास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, अज्ञेय और अन्य लोगों के जन्म स्थान को विकसित करने के बारे में जन जागरूकता पैदा करना।
अयोध्या से रामेश्वरम तक राम वन गमन यात्रा में सम्मिलित।